



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गोरखा



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल




महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन



२०७८

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गोरखा



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षकको
वार्षिक प्रतिवेदन
२०७६



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गोरखा

महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (VISION)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in
Promoting Accountability,
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent
and Quality Audit Service
to Nation)*

गन्तव्य (MISSION)

मूल्य मान्यता (Core Values)

| | |
|--------------|--------------------------|
| निष्ठा | <i>(Integrity)</i> |
| स्वतन्त्रता | <i>(Independence)</i> |
| व्यावसायिकता | <i>(Professionalism)</i> |
| पारदर्शिता | <i>(Transparency)</i> |
| जवाफदेहिता | <i>(Accountability)</i> |

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको २०७८/७९ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्यमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु साथै स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपश्चात जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन पठाइएको छ ।

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू मूलतः आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा नगरेको, तर्जुमा भएका कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, खरिद कानून विपरीत सोझै खरिद गरेको, प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको बाँकी अनुदान वर्षान्तमा फिर्ता नगरेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको लगायतका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि निर्भर रहेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनसहभागिता नजुटेको जस्ता समस्या रहेका छन् ।

स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरबन्दी वेगरका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, उपभोक्ता समितिको कार्यमा सेवा प्रवाह सहज र व्यवस्थित नभएको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एवं सम्पत्ति अभिलेख नराखेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, बैङ्क हिसाब नभिकेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बाबजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीले स्थानीय तहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

२०७९ चैत्र

(टंकमणि शर्मा दंगाल)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

अनामगढ, काठमाडौं, नेपाल
Ananagar, Kathmandu, Nepal

प्रादेशिक लेखापरीक्षण महाविद्यालय गण्डकी

२०१६

पत्र संख्या: २०७९/१८०

च.नं. २४

मिति: २०७९/१२/२९

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष ज्यू,

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय,

गोरखा ।

कैफियत सहितको राय

हामीले बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७९ आषाढ ३२ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ११ लाख १८ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिक्रियाबाट रु ३६ लाख २४ हजार फर्सौट भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु. १८ लाख ५२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड २५ लाख ९१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु २७ लाख ९४ हजार र पेशकी रु. २ लाख ५८ हजार रहेको छ । पालिकाको गतवर्ष सम्म रु ८ करोड १४ लाख ६८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु ९ करोड ८९ लाख ६२ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाको **बेरुजू वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजू स्थिति एवं प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रियाबाट लगत कट्टा गरिएको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।**
- गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको स्रोत नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँकार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्रस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रस्तताले सामान्य स्तरको आश्रस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई साभाररूपमा गन्तव्य अर्थका लागि गरेको छ ।

(जयराम घिमिरे)

नायब महालेखापरीक्षक

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
१. चालु वर्षको बेरजु २०७८।७९

१.१. बेरजु बर्गिकरण (बिनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

| प्रारम्भिक बेरजु | | | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | | बाँकी बेरजु | | | बेरजु | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----------------------|-------|------|-------------|-------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|--------|
| दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | | | | | पेस्की |
| संज्ञानिक | तागती | | संज्ञानिक | तागती | | संज्ञानिक | तागती | | | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | |
| ३६ | ५३ | २१११८ | ० | १५ | ३६२४ | ३६ | ३८ | १७४९४ | १८५२ | २७९४ | १२५९१ | ० | ० | १५३८४ | २५८ |

१.२ प्रतिक्रियाबाट फस्यौट गरिएका दफाहरुको स्विकृत विवरण

| क्र.सं | प्रारम्भिक प्रतिवेदनको दफा नं. | छोटकरी व्यहोरा | रकम रु. |
|--------|--------------------------------|---|---------|
| १. | १७ | विभाज्यकोषको रकम बाँडफाँड गरी प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गरेको | ८९०८० |
| २. | २५.१ | वडा न १ को राजस्व रकम दाखिला गरेको | ४०५८४ |
| ३. | ६० | कट्टी रकम दाखिला गरेको | ३१३२० |
| ४. | ५८ | विधालयको सामाजिक आर्थिक लेखापरीक्षणको प्रमाण पेश गरेको | १३५००० |
| ५. | ५५.३ | जिल्ला दररेट भन्दा वढी दरमा भुक्तानी रकम असुल गरेको | ८३०० |
| ६. | ३० | वढी भुक्तानी रकम असुल गरेको | ७५३०० |
| ७. | ४० | अनुगमन भत्ता असुल गरेको | १४४०० |
| ८. | ४९ | आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखिएको व्यहोरा फछ्यौट गरेको | ४९४४५३ |
| ९. | ५९ | ४ विद्यालयको इन्टरनेट जडान गरेको प्रमाण पेश गरेको | ४८००० |
| १०. | ६५ | शिक्षण सिकाइ अनुदान रकम असुल गरि दाखिला | २०२७०६५ |
| ११. | ५७ | हिमालय मावि को छात्रवृत्ति वितरण प्रमाण पेश गरेको | ७६८०० |

| | | | |
|-----|------|--|---------|
| १२. | ४३ | झोलुङ्गे पूलको संघिय फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता भएको | १२९४९४ |
| १३. | ४२ | सामाजिक सुरक्षामा रु.६१२५४८।०० बेरुजु कायम हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको र साग्रीला वैकवाट फिर्ता भएको रु१८३७८४ घटाई बाँकी कायम भएको | ३९८२६ |
| १४. | ५५.२ | भरपाई स्पष्ट नभएको प्रमाण पेश गरेको | ३१३९९८ |
| १५. | ६१ | अध्यक्षसँग गरिवी कार्यक्रमको रकम असुल गरेको | १००००० |
| १६. | | जम्मा | ३६२३६२० |

२. अघावधिक बेरुजु स्थिति २०७८।७९

(रु. हजारमा)

| पालिकाको नाम | गत वर्ष सम्मको बाँकी | समायोजन | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी बेरुजु | यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु | यो वर्षको बेरुजु | कुल बेरुजु बाँकी |
|----------------------------------|----------------------|---------|------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा | ८१४६८ | ० | ० | ८१४६८ | ० | १७४९४ | ९८९६२ |

आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक बर्ष: २०७८/७९

कार्यालय र स्थान : बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा , बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका , गोरखा

| पद | नाम | कार्यकाल सुरु मिति | कार्यकाल समाप्त मिति |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| कार्यालय प्रमुख | ईश्वरी प्रसाद पनेरु | २०७८-७-१ | |
| कार्यालय प्रमुख | तुलसी राम आचार्य | २०७८-१२-८ | हाल सम्म कार्यरत |
| बेरुजु रकम | | | १७,४९४,६९५.६ |

स्थानीय तह :

| | | | |
|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| गत बर्षको जिम्मेवारी | | ११,२६,५४,११३ | |
| आम्दानी | | खर्च | |
| संघीय सरकारबाट अनुदान | ४२,७०,३६,६०० | चालु खर्च | ३५,९७,९४,४१२ |
| प्रदेश सरकारबाट अनुदान | २,३२,६३,००० | पूँजीगत खर्च | १५,२०,०२,६८७ |
| राजश्व बाँडफाँट | ९,०१,००,८३६ | वित्तीय/अन्य व्यवस्था | १४,९७,२२,२०६ |
| आन्तरिक आय | ६१,८०,०५२ | | |
| अन्य आय | १७,१५,५६,९२८ | | |
| कुल आय | ७१,८१,३७,४१६ | कुल खर्च | ६६,१५,१९,३०५ |
| बाँकी मौज्जात | | | १६,९२,७२,२२४ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|---|------------------------|--|--|--|-------|-------------|--|--|------|---------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| १ | | | <p>लेखापरीक्षणको क्रममा असुली</p> <p>लेखापरीक्षणको क्रममा वढी भुक्तानी भएको तथा दोहोरो भ्रमण भत्ता वापतको रु २८२०० असुली भई दाखिला भएको छ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | | <p>लेखापरीक्षण</p> <p>लेखापरीक्षणमा पेश भएको आर्थिक कारोवारसंग सम्बन्धि प्राप्त जानकारी अनुसार स्वीकृत भएको लेखापरीक्षण योजना बमोजिम विश्लेषण, नमुना छनोट, लिखित प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड, मार्गदर्शन, निर्देशन र लेखापरीक्षण सीमा समेतको आधारमा परीक्षण गरी तयार गरिएको लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा व्यवस्थापनसंगको बहिर्गमन बैठकमा छलफल गरी कायम भएका व्यहोरा सहितको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षण निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोवार र वित्तिय विवरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापनको रहेको छ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | | | <p>परिचय</p> <p>स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस पालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस पालिका अन्तर्गत ८ वडा तथा २५३८९ जनसंख्या रहेको छ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | | | <p>वित्तिय विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">प्राप्तीभुक्तानी हिसाव</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">विवरण</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">यस वर्ष रु.</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">बजेट</th> <th style="width: 20%;">आफैले गरेकोप्राप्ति/भुक्तानी</th> <th style="width: 25%;">जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | प्राप्तीभुक्तानी हिसाव | | | | विवरण | यस वर्ष रु. | | | बजेट | आफैले गरेकोप्राप्ति/भुक्तानी | जम्मा | | | | | |
| प्राप्तीभुक्तानी हिसाव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण | यस वर्ष रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | बजेट | आफैले गरेकोप्राप्ति/भुक्तानी | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | |
|------|------------|-----------|--|------------|--------------|--------------|
| | | | प्राप्ती (क+ख) | ५६१९४०५४१ | ५६३८४०६५३.३६ | ५६३८४०६५३.३६ |
| | | | क. प्राप्ति (संचितकोषमा आम्दानी बाँधिने) | ५४९८७३६०० | ५४६६८५११०.८५ | ५४६६८५११०.८५ |
| | | | ११००० कर | ८९५७९००० | ९०४९४६९९.१९ | ९०४९४६९९.१९ |
| | | | १३००० अनुदान | ४६०२९४६०० | ४५०२९९६०० | ४५०२९९६०० |
| | | | संघीय सरकार | ४३२६३६६०० | ४२७०३६६०० | ४२७०३६६०० |
| | | | प्रदेश सरकार | २७६५८००० | २३२६३००० | २३२६३००० |
| | | | १४००० अन्यराजस्व | ० | ५४०१३९४.६६ | ५४०१३९४.६६ |
| | | | १५००० विविधप्राप्ति | ० | ४८९४१७ | ४८९४१७ |
| | | | ख. अन्यप्राप्ति | १२०६६९४१ | १७१५५५४२.५१ | १७१५५५४२.५१ |
| | | | वितरण गर्नबाकी राजस्व | ० | २२२७०० | २२२७०० |
| | | | कोषहरु | १२०६६९४१ | ११७१७०८८.६२ | ११७१७०८८.६२ |
| | | | धरौटी | ० | ५२१५७५३.८९ | ५२१५७५३.८९ |
| | | | संघीय, प्रदेशसरकार वा अन्य कार्यक्रम | ० | ० | ० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | |
|------|------------|-----------|---|------------------|--------------|------------------|
| | | | भुक्तानी (ग+घ) | ६८३०९४६५४. २७ | ५१८८८३६८२.२९ | ५१८८८३६८२. २९ |
| | | | ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट) | ६७१०२७७१३. २७ | ५११७९७१०२.२९ | ५११७९७१०२. २९ |
| | | | २१००० पारिश्रमिक / सुविधा | २३३५३६३५७. २७ | १९९५४९१२५.२८ | १९९५४९१२५. २८ |
| | | | २२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग | १०९६६८७५६ | ७६४९३५४९.९३ | ७६४९३५४९.९ ३ |
| | | | २५००० सहायता (Subsidy) | २१२९०००० | १७४२१८४६ | १७४२१८४६ |
| | | | २६००० अनुदान | २१०६१००० | १७४२५३२०.८२ | १७४२५३२०.८ २ |
| | | | २७००० सामाजिक सुरक्षा | १७५४०००० | १००३०८०० | १००३०८०० |
| | | | २८००० अन्य खर्च | ३९५२४००० | ३८८७३७७२.७९ | ३८८७३७७२.७ ९ |
| | | | ३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च | २२८४०७६०० | १५२००२६८७.४७ | १५२००२६८७. ४७ |
| | | | घ. अन्यभुक्तानी | १२०६६९४१ | ७०८६५८० | ७०८६५८० |
| | | | कोषहरु | १२०६६९४१ | ४८५७३९८ | ४८५७३९८ |
| | | | धरौटी | ० | २२६०५०२ | २२६०५०२ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|-------------|
| | | | संघीय, प्रदेशसरकार वा अन्य कार्यक्रम | ० |
| | | | कट्टी रकमभुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी | -३१,३२० |
| | | | ड. यो वर्षकोबचत (न्युन) | ४४९५६९७१.०७ |
| | | | च. गतवर्षकोजिम्मेवारी रकम (अ.ल्या) | ८५४९४२६.६३ |
| | | | वर्षान्तकोबाकी रकम (ड + च) | ५३५०६३९७.७ |
| | | | बैंक तथा नगदबाकी | ५६३८१५८४.७१ |
| | | | अन्तरसरकारी अख्तियारीतर्फ आम्दानी तथा खर्च | |
| | | | आम्दानी शिर्षक | रकम |
| | | | एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार | २७२३०८५० |
| | | | सामाजिक सुरक्षा | १४४३२६०७८ |
| | | | जम्मा | १७१५५६९२८ |
| | | | खर्च शिर्षक | रकम |
| | | | एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार | २७२३०८५० |
| | | | सामाजिक सुरक्षा | १४४३२६०७८ |
| | | | जम्मा | १७१५५६९२८ |
| ५ | | | योजना व्यवस्थापन | |
| ५.१ | | | नीति तथा कार्यक्रम र वजेट विच तालमेल: यस पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य वीमालाई प्रभावकारी बनाउने, माध्यमिक शिक्षामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयको कक्षा स्वास्थ्य कर्मिबाट मिलाउने, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने, बाँझो जग्गाको लगत तथा उपयोग गरी कृषिमा स्वरोजगारी सृजना गर्ने, नमुना कृषि आर्गनिक कृषि फार्मको | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | स्थापना गर्ने, भेडापालनको लागि खर्क सुधार तथा उन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनसमुदायको सहभागितामा बिद्युत उत्पादन गर्ने, राजश्व असुली प्रभावकारी परिचालन जस्ता विषय उल्लेख भए पनि बजेटसँग तालमेल गरेको देखिदैन । | |
| ५.२ | | | <p>दिगो विकास: लक्ष्य निर्धारण: दिगो विकास लक्ष्य आन्तरिकिकरण गरी राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरे को देखिदैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात गरेर विकास योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।</p> <p>योजना सूची तयार नगरेको: स्थानीय सरकार सञ्चालन, ऐन २०७४ को दफा २४ (४) गाउपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सम्पूर्ण आयोजना तथा योजनाहरू एक वर्षे रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ भने कतिपय आयोजनाहरू आर्थिक वर्षमा नसकिएकोमा अर्को वर्षमा सारी क्रमागत योजना भनी कार्यान्वयन गरेको पाईएकोछ । स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाउने सन्दर्भमा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गर्नु पर्नेमा सो गरेको पाईएन । मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची बनाई विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।</p> <p>योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन:स्थानीय सरकार सञ्चालन, ऐन २०७४ को दफा २४ (३) मा गाउपालिका तथा नगरपालिकाले योजना बनाउदा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त, गर्न सकिने आमदानी र रोजगार बढ्ने, लागत सहभागिता जुट्ने, स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग, समावेशी विकासमा योगदान, दीगो विकास र वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय भाषिक, सांस्कृतिक विकास जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । सो कुरालाई मध्यनजर गरी आयोजना प्राथमिकता गरेको पाईएन । कानूनमा भएको ब्यवस्था परिपालना गरी दिगो विकास तथा गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ने आयोजना प्राथमिकिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------|--|------------|-------|--------------|-----|---|-------------------------|----|---------|---|-----------------------------------|-----|----------|---|--------------------------------|----|----------|---|---------------------------------|---|---------|--|
| ६ | | | <p>योजना र कार्यान्वयन</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुक्रे योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । साना तथा टुक्रे योजनामा वजेट विनियोजन गर्दा दिर्घकालिन उपलब्धी नहुँने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामका योजनाहरू देहायअनुसार छन्:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र सं</th> <th>विवरण</th> <th>योजना संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>एक लाख भन्दा कमका योजना</td> <td>४२</td> <td>३८५००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>एक लाख देखि पाँच लाख सम्मका योजना</td> <td>१८४</td> <td>५२२५१५६६</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना</td> <td>२८</td> <td>२२११५०००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>१० लाख देखि ५० लाख सम्मका योजना</td> <td>९</td> <td>१६५००००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र सं | विवरण | योजना संख्या | रकम | १ | एक लाख भन्दा कमका योजना | ४२ | ३८५०००० | २ | एक लाख देखि पाँच लाख सम्मका योजना | १८४ | ५२२५१५६६ | ३ | ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना | २८ | २२११५००० | ४ | १० लाख देखि ५० लाख सम्मका योजना | ९ | १६५०००० | |
| क्र सं | विवरण | योजना संख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | एक लाख भन्दा कमका योजना | ४२ | ३८५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | एक लाख देखि पाँच लाख सम्मका योजना | १८४ | ५२२५१५६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना | २८ | २२११५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | १० लाख देखि ५० लाख सम्मका योजना | ९ | १६५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|---------------------------|-----|----------|------------|
| | | | ५ | ५० लाख भन्दा माथिका योजना | १ | ६०००००० | |
| | | | | जम्मा | २६४ | ८५८६६५६६ | |
| ७ | | | <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन। यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल वमोजिम रहेका छन</p> <ul style="list-style-type: none"> · स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाईएन । · पालिकाले २०७८।७९ को अवधिमा भएको आफ्नो आर्थिक कारोवारको अनुसुची २११ वमोजिम ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । · पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन। · कार्यालयको श्रेष्ठा र वैक विचको हिसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा वैक हिसाव मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाव मिलान भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । · राजस्व संकलन सम्बन्धमा सुचना प्रबिधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन । स्थानीय राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा आएतापनि पुर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । · अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । · स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय, क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएन । | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> · स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैंक खडा गरेको देखिएन । · दिगो बिकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन । · पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी केही सामान वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो भने वडालाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सामान वडाले नै खरिद गर्ने र जिन्सी पनि वडाले नै वाध्ने गरेकोले नगरपालिकाको मुल जिन्सी खातामा उक्त सामान चढाएको देखिएन । · वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी सामान सहितको अभिलेख देखिने गरी पालिकाको मूल जिन्सी खाता अध्यावधिक गरेको पाईएन । · जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन। · मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिएको तथा इ टीडिएस नगरेको पाइयो। · कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । · सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन। · स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाबै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा ढिला गरी तोकेको देखियो। · ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन। · स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । · स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएको पाईएन । | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> · स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ बमोजिम स्थानीय तहले भू-जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नुपर्ने र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भएकोमा यस स्थानीय तहले जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गरेको देखिएन । · सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । · संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण कार्य गर्न समिति गठन गरेका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाइएन । · सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन। · वातावरणको संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राख्दै फोहोरमैला ब्यबस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाईएन । · सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । · यस वर्ष पालिकाले कन्टिन्जेन्सीवाट विभिन्न शिर्षकमा खर्च गरेको भएता पनि योजनागत कन्टिन्जेन्सीको खाता राखेको छैन । · वजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार नगरेकोले पालिकाको वजेट, शर्त तथा विषयगत अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए नआएको र कार्यक्रम अनुसारको प्रगति भए नभएको संवन्धमा एकिन गर्न सकिएन । · निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ५ (क) बमोजिम कर्मचारीहरुको कार्य विवरण वनाई लागू गरेको पाईएन । · आर्थिक कार्यबिधि नियमावली २०६४ को नियम ९ (६) बमोजिम नगद प्राप्त हुने रकम दैनिक रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने र दैनिक रुपमा बैंक दाखिला गर्न नसकिने भएमा कार्यालय प्रमुखले कारण उल्लेख गरी सात दिन भित्र बैंक दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय तह अन्तरगतका वडाहरुले कतिपयले पन्ध्र दिन, महिना दिन र कतिपयले २ देखि ३ महिना पछि मात्र दाखिला गर्ने गरेको, | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> · विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको नदेखिएको, · वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीय तहले नियमावलीको अनुसूची वमोजिम सडकहरु निर्माण, १०० मि सम्मको पुल, लिफ्ट सिँचाइ, सडक स्तरोन्नती लगायतका कार्यमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र नगरेमा दफा ३५ वमोजिम रु= ५ लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तह आफैले पालना नगरेको तथा गराएको अभिलेख नराखेको, · स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो को अभिलेख नराखेको, पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो नगरेको र लागत सहभागिता सहितको लागत अनुमान तयार गरेको देखिएन । · सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय-व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन। · सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन । · वजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार नगरेकोले पालिकाको वजेट, शर्त तथा विषयगत अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए नआएको र कार्यक्रम अनुसारको प्रगति भए नभएको संबन्धमा एकिन गर्न सकिएन । · निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५ वमोजिम कर्मचारीहरुको कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाईएन । · वडावाट विभिन्न बैठकहरु वसी भत्ता भुक्तानी गरेकोमा वडागत बैठकको निर्णय अध्ययन गर्दा अधिकांशमा बैठकको स्पष्ट कार्यविधि नभएको तथा केहीमा महत्वपूर्ण निर्णय नभएको तर बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको, · सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (११) मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि भौतिक संरचनाहरुको विवरण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले विगत वर्षदेखि भएको कार्यको लगत नराखेको कारण एकै योजनालाई एक भन्दा वढी वर्षमा विनियोजन हुन सक्ने देखिएको, | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|---|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> · स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार कामलाइ व्यवस्थित गर्न लेखा समिति, सुशासन समिति लगायतका समिति तथा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख भएकोमा गठन नभएको तथा भएकोमा समेत निस्क्रियताको कारण संस्थागत सुशासनको स्थितिको वारेमा मुल्यांकन गर्न सक्ने स्थिति नभएको, · सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनुरूप सूचना प्रवाहको अवस्था वा सूचना दिन इन्कार गरेको अभिलेख राख्नुपर्ने जसमा सूचना माग गर्नेको विवरण तथा सूचनाको संक्षिप्त बिबरण आदिको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख व्यवस्थापन नगरेको, · सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद २ दफा ७.१ मा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भत्ता लिन चाहेमा दफा ६ को उपदफा १ मा उल्लेखित समयावधिभित्र वडा कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो को पालना नभएको, · सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ८ दफा २८ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय स्तरको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त समिति गठन नगरेको, · सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ९ क मा आगामी आर्थिक वर्षमा भत्ता प्राप्त गर्नेहरूको विवरण सम्बन्धित वडा समितिहरूको सिफारिसका आधारमा स्थानीय सभामा पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले लाभग्राहीहरूको विवरण सभामा पेश नगरेको, · सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ९ घ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरूको नाम नामेसि स्थानीय तहको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यालयले उक्त कार्यविधिको पालना नगरेको, · सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ९ दफा ३४ मा पालिकाले नयाँ नाम दर्ता, चौमासिक भत्ता वितरण सम्बन्धि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि कार्यालयले उक्त विवरणहरू सार्वजनिक गरेको देखिने गरी प्रमाण नराखेको, · सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ९ दफा ३५ मा वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने र प्राप्त गुनासा तथा सुझावहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो को पालना नभएको, | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | <p>· निजामती सेवा ऐन, 2049 को दफा 7 (2) ख वमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेखेको पाईयो ।जसले गर्दा भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दा वढी ग्रेड भुक्तानी हुने अवस्था रहेको, तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| ८ | | | <p>वित्तिय विवरणः</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्षको साउन एक गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गरी आय र व्ययको हिसाव राख्नुपर्दछ । सोही ऐनको दफा ६९ मा तोकिय अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन्</p> <ul style="list-style-type: none"> · स्थानीय तहले संचित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम, संचित कोषबाट भएको खर्च तथा खर्च नभइ बाँकी रहेको रकम स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन भने स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्त र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (NPSAS अनुरूप) म=ले=प=फा=नं= २७२ ले समेत आय व्ययको यथार्थ चित्रण गर्न सकेको छैन । · स्थानीय तहले खाता अनुसारको बैंक समायोजन हिसाब खाता राखेको छैन । जसबाट स्थानीय तहको असार मसान्तको बैंक मौज्जात र श्रेस्ताको मौज्जातमा फरक देखिएको छ । · पालिकाको सुत्रको म ले प फा नं २७२ अनुसार बैंक तथा नगद बाँकी रु.५६३८१५८४।०० रहेकोमा पालिकाले पेश गरेको एकिकृत आर्थिक विवरण अनुसार बैंक मौज्जात १६९२७२२४।९५ देखिन्छ।यसकारण पालिकाले पेश गरेको आर्थिक विवरणले यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दैन। · पालिकाको गत वर्षको जिम्मेवारी श्रेस्ताअनुसार रु. ८५४९४२६।०० सारेको देखिएकोमा एकिकृत आर्थिक विवरण अनुसार रु.११२६५४११३।०० सारेको देखिन्छ।पालिकाले आम्दानी हिसाव स्पष्ट देखिने गरी जिम्मेवारी सार्ने तथा श्रेस्ता अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। · पालिकाको आन्तरिक आम्दानी रु.६१ लाख ८० हजार रहेकोमा सुत्रको वित्तिय विवरणको अनुसुची ११ मा ९ करोड ५८ लाख ९६ देखिएको छ।पालिकाले आर्थिक संकेत वर्गिकरण र व्याख्या २०७४ ले तोकेवमोजिम लेखाइकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। | |


| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | <p>· पालिकाले संघ तथा प्रदेशमा फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रु.४७१३२९७५।०० रहेकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा संघतर्फ रु.४४६३२९७५।०० र प्रदेशमा रु.२५०००००।०० फिर्ता गरेको छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।</p> <p>· स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा प्रतिवेदन तथा लेखाइकन गरेको पाईएन ।</p> <p>· एकिकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण तथा व्याख्या २०७४ अनुसार चालू र पुजीगत शिर्षकमा रकम विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्नेमा कतिपय कार्यक्रम चालुवाट गर्नुपर्नेमा पुजीगत शिर्षक र पुजीगत शिर्षकवाट गर्नुपर्नेमा चालु शिर्षकवाट खर्च भएकोले उक्त व्याख्या अनुसार वजेट तयार तथा कार्यान्वयन भएको छैन । अतः खर्च शिर्षकले यथार्थ शिर्षकगत खर्च रकमको विवरण दिन सक्ने अवस्था रहेन ।</p> | |
| ९ | | | <p>वैक हिसाब मिलान नगरेको:</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रुपमा सेस्ता र बैक खाताको हिसाब मिलान विवरण (म=ले=प=फा=नं= २७३) तयार गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको विभिन्न खाताको बैक हिसाब मिलान विवरण तयार गरेको देखिएन। पालिकाले वैक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी श्रेष्ठा अर्दावधिक गर्नुपर्दछ</p> | |
| १० | | | <p>कार्यक्रमगत प्रगती:</p> <p>पालिकाले तोकिएको लक्ष्य पुरा गरी शत लक्षित प्रगति हासिल गर्नुपर्दछ। कार्यालयले देहायका कार्यक्रममा शुन्य प्रगति गरेको छ । पुरा गर्न सक्ने योजनाहरु छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ। पालिकाले तय गरेका कार्यक्रम तर्फ शुन्य प्रगति भएका केही उदाहरण देहायअनुसार छन्:</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|--------|--|-----------------------|------|------------|
| | | | सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | विनियोजन रु हजारमा | खर्च | |
| | | | १ | माझथर चित्रे सडक ३ | ६,०० | ० | |
| | | | २ | रोजगार सहायकको तलब १ | ३,६७ | ० | |
| | | | ३ | पोपण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन | ३,४० | ० | |
| | | | ४ | किसान सूचीकरण कार्यक्रम | ३,०० | ० | |
| | | | ५ | विविध स्वास्थ्य कार्यक्रम | २,५३ | ० | |
| | | | ६ | आरेडाडा सडक स्तरोन्नती ७ | २,५० | ० | |
| | | | ७ | मासिक तलब महंगि तथा पोसाक भत्ता | २,३१ | ० | |
| | | | ८ | भैपरी आउने खर्च २ | २,०० | ० | |
| | | | ९ | सडक सफा ४ | २,०० | ० | |
| | | | १० | दलित बस्ती पन्चेबाजा सामुदायिक भवन निर्माण ५ | २,०० | ० | |
| | | | ११ | मसार खेल मैदान निर्माण ६ | २,०० | ० | |
| | | | १२ | हुडिफाट खार्चोक सडक समपुरक | ११६१६ | ० | |
| | | | १३ | चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश | ५००० | ० | |
| | | | १४ | बारपाक भ्युटावर | ३००० | ० | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|---------------|--------------|--|------------|
| | | | १५ बिपत ब्यबस्थापन कोष | १५०० ० |
| | | | १६ कोरोना कोष | १५०० ० |
| | | | १७ गाउँपालिका पुर्वाधार | १५०० ० |
| | | | १८ कर्मचारी तालिम खर्च | ८०० ० |
| | | | १९ बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा सहयोग | ७०० ० |
| | | | २० सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च | ७०० ० |
| | | | २१ भ्रमण खर्च पर्यटन | ६५० ० |
| | | | २२ बारपाक बहुप्राबिधिक शिक्षालय प्रयोगशाला निर्माण | ६०० ० |
| | | | २३ मर्मत सम्भार कोष | ५०० ० |
| | | | २४ सुशासन तथा संस्थागत बिकास | ५०० ० |
| | | | २५ प्रयोगशाला संचालन २ र ५ | ५०० ० |
| | | | २६ बाल संरक्षण कोष | ५०० ० |
| | | | २७ महिलालाइ सहजहुने खालका सामाग्री बितरण क(कुटानि पिसानी तथा अन्य) | ५०० ० |
| | | | २८ कृषि तथा पशुपंक्षी क्षतिपुर्ति कोष | ५०० ० |
| | | | २९ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | ५०० ० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------------|------|----------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----|---|----|----|----|--|
| ११ | | | <p>चौमासिक पूँजीगत खर्च</p> <p>आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण वनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक पुजिगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । कुल खर्च मध्ये असारमा मात्र रु ३७६०९८१२।०० खर्च भएको विवरण पेश भएको छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">पूँजीगत खर्च शीर्षक</th> <th rowspan="2">कुल खर्च</th> <th colspan="3">चौमासिक खर्च (रु.हजारमा)</th> <th rowspan="2">आषाढ महिनाको मात्र खर्च</th> </tr> <tr> <th>प्रथम चौमासिक</th> <th>दोस्रो चौमासिक</th> <th>तेश्रो चौमासिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पूँजीगत खर्च</td> <td>१३२९५०७२६</td> <td>१२०७०६५३</td> <td>४१३९००१९</td> <td>७९४९००५५</td> <td>३७६०९८१२</td> </tr> <tr> <td>खर्च प्रतिशत</td> <td>१००</td> <td>९</td> <td>३१</td> <td>६०</td> <td>२८</td> </tr> </tbody> </table> | पूँजीगत खर्च शीर्षक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च (रु.हजारमा) | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेश्रो चौमासिक | पूँजीगत खर्च | १३२९५०७२६ | १२०७०६५३ | ४१३९००१९ | ७९४९००५५ | ३७६०९८१२ | खर्च प्रतिशत | १०० | ९ | ३१ | ६० | २८ | |
| पूँजीगत खर्च शीर्षक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च (रु.हजारमा) | | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेश्रो चौमासिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूँजीगत खर्च | १३२९५०७२६ | १२०७०६५३ | ४१३९००१९ | ७९४९००५५ | ३७६०९८१२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खर्च प्रतिशत | १०० | ९ | ३१ | ६० | २८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | | | <p>क्षेत्रगत बजेट र खर्च</p> <p>स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहाय अनुसार रहेको देखिन्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>क्षेत्र/उप क्षेत्र</th> <th>विनियोजन</th> <th>खर्च</th> <th>खर्च (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आर्थिक विकास</td> <td>५५६७७६००</td> <td>४६८५५१५९.२६</td> <td>८४.१५</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सामाजिक विकास</td> <td>२९७०६८८०६</td> <td>२४९४५१२२६.४६</td> <td>८३.९७</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | क्षेत्र/उप क्षेत्र | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | १ | आर्थिक विकास | ५५६७७६०० | ४६८५५१५९.२६ | ८४.१५ | २ | सामाजिक विकास | २९७०६८८०६ | २४९४५१२२६.४६ | ८३.९७ | | | | | | | |
| सि.नं. | क्षेत्र/उप क्षेत्र | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | आर्थिक विकास | ५५६७७६०० | ४६८५५१५९.२६ | ८४.१५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सामाजिक विकास | २९७०६८८०६ | २४९४५१२२६.४६ | ८३.९७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | ३ | पूर्वाधार विकास | १७५३०१००० | १०७७३१३०७.६१ | ६१.४६ | |
| | | | ४ | सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र | २००६६००० | ११७८८९८२.४९ | ५८.७५ | |
| | | | ५ | कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक | १२२९१४३०७.२७ | ९५९९९६७१.४७ | ७८.०९ | |
| | | | कुल जम्मा | | ६७१०२७७१३.२७ | ५११८२६३४७.२९ | ७६.२७ | |
| १३ | | | कानून निर्माण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा यस पालिकाले हालसम्म १६ ऐन, ४ नियमावली, २० कार्यविधि, २ मापदण्ड र ४ निर्देशिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । | | | | | |
| १४ | | | अबण्डा बजेट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय-व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा सन्धित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम वाहेकका अन्य रकम आफ्नो वजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकावाट त्यस्तो वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस स्थानीय तहले यो बर्ष विविध सिञ्चाई शिर्षकमा रु.३० लाख, वन तथा भु संरक्षण शिर्षकमा रु.३० लाख र विविध खानेपानी शिर्षकमा रु. १५ लाख ६० हजार गरी एकमुष्ट रुपमा रु ७५ लाख ६० हजार वजेट राखेकोमा कार्यक्रम तोकेको छैन। बजेट अबण्डाको रुपमा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| १५ | | | <p>रकमान्तर:</p> <p>अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २९ मा वजेटमा पूँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । यस पालिकाले गाउँसभावाट विभिन्न ५१ खर्च शिर्षकवाट रु.३ करोड ४७ लाख २४ हजार घटाई विभिन्न १३४ शिर्षकमा रु. ३ करोड ५२ लाख २४ हजार रकम वटाई कार्यक्रम संसोधन मार्फत विभिन्न शिर्षक तथा योजनामा रकमान्तर गरेको छ ।असारमा वजेट तथा कार्यक्रम वनाउदा यसमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु तथा तोकिएका समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कारण पटक पटक कार्यक्रम संसोधन भएको देखिन्छ।साथै रकमान्तर रकममा समेत फरक परेको तथा नियममा भएको व्यवस्थाको पालना नभएकोले यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ</p> | |
| १६ | | | <p>सेवा प्रवाह:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा पालिका तथा वडा कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष जन्म दर्ता १२०९ वटा, मृत्युदर्ता ३७८ वटा, नाता प्रमाणित ८५५ वटा, घरवाटो शिफारिश ३६९ वटा, नागरीकता शिफारिश १४९० वटा वसाइसराइ ५३ र अन्य ७१७९ वटा दर्ता तथा सिफारीस गरी सेवा प्रवाह गरेको देखियो । पालिकाले सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई, पञ्जीकरण दर्ता तथा सिफारिश, पारिवारिक लगतको अभिलेख आदिको सम्बन्धमा अभिलेख राखेको छैन भने स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड समेत वनाएको छैन । ऐन बमोजिम कानून वनाई सोको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्दछ</p> | |
| १७ | | | <p>विभाज्य कोष:  (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ८९०८० ।- सम्परीक्षण गरिएको ।</p> | ० |
| १८ | | | <p>न्यायिक समिती:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर</p> | |


| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|----------------|--|------------|--------------|------------------|-------|--|
| | | | लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतबर्ष फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाकी २० र यो बर्ष थप भएको १७ गरी कुल ३७ विवाद दर्ता भएकोमा ८ वटा मात्र फछ्यौट भई २९ वटा बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फछ्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ । | | | | | | | |
| १९ | | | <p>आर्थिक सहायता:</p> <p>सरकारको बार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधी उपचार खर्च वापत आर्थिक प्रदान गर्ने, यस्तो सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोरो सहायता उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा उल्लेख छ। साथै उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरु, सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। पालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन तर्फ नमुना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा देहायवमोजिम भौचरवाट रु.२ लाख २५ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखियो। आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपूर्व पालिकाले ठूलो रकम आर्थिक सहायताको रुपमा व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गर्ने गरेको, आर्थिक सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको लगत राख्ने नगरेको जस्ता अवस्था देखियो। पालिकाले आर्थिक सहायता एवं अनुत्पादक चालु प्रकृतिका खर्चमा कटौती नगरी पूँजिगत खर्चको हिस्सा बढाउन सक्ने अवस्था छैन। उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी नगरी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकोले यस्ता प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्नुका साथै तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र औषधी उपचार खर्च लेख्नुपर्ने देखिन्छ। पालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन तर्फको लेखापरीक्षण छनौटमा परेका केही भौचरको परीक्षण गर्दा चालु आ=व= मा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको आर्थिक सहायता यस प्रकार छन्</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ न र मिति</th> <th>आर्थिक सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम</th> <th>सहायता रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२,२०७८/०६/१९</td> <td>किन बहादुर बि.क.</td> <td>२५०००</td> </tr> </tbody> </table> | गो भौ न र मिति | आर्थिक सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम | सहायता रकम | २,२०७८/०६/१९ | किन बहादुर बि.क. | २५००० | |
| गो भौ न र मिति | आर्थिक सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम | सहायता रकम | | | | | | | | |
| २,२०७८/०६/१९ | किन बहादुर बि.क. | २५००० | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| | | | २,२०७८/०६/१९ रन बहादुर बि.क. | २५००० |
| | | | ४,२०७८/०८/२८ पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग | २५००० |
| | | | ७,२०७८/०९/१० लाल बहादुर वराम | २५००० |
| | | | ९,२०७८/०९/२० वेल बहादुर गुरुङ्ग | २५००० |
| | | | १२,२०७८/१०/०१ राजेन्द्र ढकाल | २५००० |
| | | | १६,२०७८/११/२५ दुर्गा वराम | २५००० |
| | | | २१,२०७९/०२/१३ रामचन्द्र श्रेष्ठ | २५००० |
| | | | २४,२०७९/०२/२३ विमला सुनार | २५००० |
| २० | | | परामर्श सेवा: | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|
| २०. १ | | | <p>परामर्श सेवा खरिद:सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७२ र ७० मा बीस लाख रुपैया भन्दा कम रकमको परामर्श सेवा मौजुदा सुचीमा रहेको परामर्शदाताबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने र वीस लाख रुपैया भन्दा बढीको लागत अनुमान भएका परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा गराई आसय पत्र माग गर्नु पर्ने उल्लेख छ। नियम ७१ मा प्राविधिक प्रस्तावको मुल्यांकन गर्दा परामर्शदाताको खास कामको अनुभवमा कुल अंकको २५ प्रतिशतसम्म, कार्यसम्पादन गर्ने तरिका र कार्य क्षेत्रगत शर्त प्रतिको प्रभावकारीतामा कुल अंकको २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म, मुख्य मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभवमा तिस देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रविधि हस्तान्तरण र स्वदेशी जनशक्तिको सहभागितामा कुल अंकको दश दश प्रतिशत अंक विभाजन गरी प्राविधिक मुल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यालयले घुम्चोक पोखरी डि पि आर गरी प्लानेट टेष्ट सिताचल जे भि लाई भौ नं १७२ वाट रु.१६८३१३५।०० भुक्तानी गरेकोमा परामर्शदाताको प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा परामर्शदाताको योग्यता र अनुभवलाई मात्र समावेश गरी प्राविधिक मुल्यांकन गरी छनौट गरेको छ। यसरी ५ वटा शिर्षकलाई आधार लिई मुल्यांकन गर्नुपर्नेमा २ वटा शिर्षकमा मात्र मुल्यांकन गरी छनौट गरी भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएको रु</p> <table border="1" data-bbox="436 889 1024 1031"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम</th> <th>असुली रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०.१.१</td> <td>सम्बन्धितबाट</td> <td>१६,८३,१३५</td> </tr> </tbody> </table> | क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | २०.१.१ | सम्बन्धितबाट | १६,८३,१३५ | १,६८३,१३५ |
| क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | | | | | | | | |
| २०.१.१ | सम्बन्धितबाट | १६,८३,१३५ | | | | | | | | |
| २०. २ | | | <p>परामर्श सेवामा ओभरहेड भुक्तानी: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधिनमा रही तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै १२ (४) अनुसार परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागत अनुमान अनुसुची १ (क) को ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। लागत अनुमानमा परामर्शदातालाई ओभरहेडको व्यवस्था नरहेको हुँदा ओभरहेड दिन मिल्ने देखिदैन। कार्यालयले धुम्चोक पोखरीको डि पि आर तथा भुक्तानी गर्दा परामर्शदाताको लागत अनुमानमा रु.७९६११।०० ओभरहेड जोडी लागत अनुमान गरेको र सम्झौतामा लागत अनुमान भन्दा २८६४५।०० घटी रकममा सम्झौता भएकोले ओभरहेड रकमभन्दा वाहेकको लागत अनुमान भन्दा वढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> | ५०,९६६ | | | | | | |


| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--|------------|---|-----------|--------|--|--------|-----|------------------------------|--------|-----|------------------------------------|--------|-----|------------------------|--------|-----|--|--------|-----|---|--------|--|
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम</th> <th>कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम</th> <th>असुली रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०.२.१</td> <td>धुन्चोक पोखरीको डि पि आर परामर्शदाता</td> <td>५०,९६६</td> </tr> </tbody> </table> | क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | २०.२.१ | धुन्चोक पोखरीको डि पि आर परामर्शदाता | ५०,९६६ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्रम | कर्मचारीको/फर्म/संगठन नाम | असुली रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २०.२.१ | धुन्चोक पोखरीको डि पि आर परामर्शदाता | ५०,९६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१ | | | <p>वितरणमुखी खर्च:</p> <p>सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको समानीकरण चालुतर्फको नमुना छनौटको आधारमा केही भौचरहरूको परीक्षण गर्दा देहाय बमोजिमका अनुत्पादक तथा वितरणमुखी प्रयोजनमा रु. ३१लाख ८३ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। यसरी हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ न</th> <th>कार्यक्रम तथा भुक्तानी पाउने संस्थाको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२१</td> <td>मण्डली महिला समुह भाडाँ खरिद तथा वितरण</td> <td>१५००००</td> </tr> <tr> <td>१४४</td> <td>पलाष्टिक चियर तथा टेवल वितरण</td> <td>४७९४३५</td> </tr> <tr> <td>१४५</td> <td>युवा परिचालन खेलकुद सामाग्री वितरण</td> <td>१५५०३५</td> </tr> <tr> <td>२२३</td> <td>दलित समुदाय भाडा वितरण</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>२४६</td> <td>सौरपानी युवा क्लव फुटवल कार्यक्रम खर्च</td> <td>१५००००</td> </tr> <tr> <td>३१३</td> <td>ह्याप्रिड पुरोहित संरक्षण सामाग्री खरिद</td> <td>१०००००</td> </tr> </tbody> </table> | गो भौ न | कार्यक्रम तथा भुक्तानी पाउने संस्थाको नाम | रकम | १२१ | मण्डली महिला समुह भाडाँ खरिद तथा वितरण | १५०००० | १४४ | पलाष्टिक चियर तथा टेवल वितरण | ४७९४३५ | १४५ | युवा परिचालन खेलकुद सामाग्री वितरण | १५५०३५ | २२३ | दलित समुदाय भाडा वितरण | १००००० | २४६ | सौरपानी युवा क्लव फुटवल कार्यक्रम खर्च | १५०००० | ३१३ | ह्याप्रिड पुरोहित संरक्षण सामाग्री खरिद | १००००० | |
| गो भौ न | कार्यक्रम तथा भुक्तानी पाउने संस्थाको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२१ | मण्डली महिला समुह भाडाँ खरिद तथा वितरण | १५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४४ | पलाष्टिक चियर तथा टेवल वितरण | ४७९४३५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४५ | युवा परिचालन खेलकुद सामाग्री वितरण | १५५०३५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२३ | दलित समुदाय भाडा वितरण | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४६ | सौरपानी युवा क्लव फुटवल कार्यक्रम खर्च | १५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१३ | ह्याप्रिड पुरोहित संरक्षण सामाग्री खरिद | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--|------------|---------------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|------------------------------|--------|-----|--|--------|-----|--|--------|-----|-----------------------------|--------|-----|----------------------|--------|-----|--------------------------|--------|-----|---|--------|--|--|---------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>३२२</td> <td>माइ भगवती पुजा व्यवस्थापन</td> <td>५००००</td> </tr> <tr> <td>३३६</td> <td>टेण्ट खरिद तथा वितरण</td> <td>६६००४</td> </tr> <tr> <td>३७६</td> <td>दलित समुदायका लागि भाडा खरिद</td> <td>१५००००</td> </tr> <tr> <td>३८३</td> <td>मागको आधारमा महिला समुदायलाई सामाग्री खरिद</td> <td>२५५५००</td> </tr> <tr> <td>३९६</td> <td>दलित शशक्तिकरण कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन</td> <td>४०००००</td> </tr> <tr> <td>४५९</td> <td>सामाग्री वितरण विभिन्न समुह</td> <td>५२७४६०</td> </tr> <tr> <td>५४४</td> <td>भेडा वितरण कार्यक्रम</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>५४७</td> <td>पञ्चेवाजा खरिद तथा वितरण</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>५८६</td> <td>भेडा वितरण जिविकोपार्जनको लागि भेडा वितरण</td> <td>३०००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>३१८३४३४</td> </tr> </table> | ३२२ | माइ भगवती पुजा व्यवस्थापन | ५०००० | ३३६ | टेण्ट खरिद तथा वितरण | ६६००४ | ३७६ | दलित समुदायका लागि भाडा खरिद | १५०००० | ३८३ | मागको आधारमा महिला समुदायलाई सामाग्री खरिद | २५५५०० | ३९६ | दलित शशक्तिकरण कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन | ४००००० | ४५९ | सामाग्री वितरण विभिन्न समुह | ५२७४६० | ५४४ | भेडा वितरण कार्यक्रम | २००००० | ५४७ | पञ्चेवाजा खरिद तथा वितरण | १००००० | ५८६ | भेडा वितरण जिविकोपार्जनको लागि भेडा वितरण | ३००००० | | | ३१८३४३४ | |
| ३२२ | माइ भगवती पुजा व्यवस्थापन | ५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३६ | टेण्ट खरिद तथा वितरण | ६६००४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३७६ | दलित समुदायका लागि भाडा खरिद | १५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३८३ | मागको आधारमा महिला समुदायलाई सामाग्री खरिद | २५५५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३९६ | दलित शशक्तिकरण कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन | ४००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५९ | सामाग्री वितरण विभिन्न समुह | ५२७४६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४४ | भेडा वितरण कार्यक्रम | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५४७ | पञ्चेवाजा खरिद तथा वितरण | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५८६ | भेडा वितरण जिविकोपार्जनको लागि भेडा वितरण | ३००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३१८३४३४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२ | | | <p>सार्वजनिक सम्पती व्यवस्थापन प्रणाली(PAMS) पुर्ण रुपमा लागु नभएको:</p> <p>पालिकाले सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली पुर्ण रुपमा लागु नगरेको कारण पालिकाको सम्पुर्ण सार्वजनिक सम्पती तथा सोको मौद्रिक मुल्य सम्बन्धमा एकिन गर्न सकिएन।पालिकाले सार्वजनिक सम्पती व्यवस्थापन प्रणाली(PAMS) पुर्ण रुपमा लागु गरी सार्वजनीक सम्पतीको अभिलेख तथा संरक्षण गर्नुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|----------|------------|-----------|--|------------|
| २३ | | | <p>करार कर्मचारी:</p> <p>स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धिआदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४।१२।१४ मा जारी स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा वाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून विपरित भई भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीवाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । कार्यालयको असार महिनाको तलब भुक्तानी प्रतिवेदन अनुसार सेवा करारमा राख्न नमिल्ने पदहरु सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा ६ जना सामाजिक परिचालक ११ जना अनमि २ जना अमिन १ जना अहेव २ नाप्रस १ जना प स्वा प्रा १ जना गरी २४ जना करारमा कर्मचारी राखी मासिक रु.२९५०००।०० का दरले वार्षिक रु.३८३५०००।०० खर्च लेखेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्दछ।</p> | |
| २४ | | | <p>घरभाडा:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कार्यालयले विभिन्न बैठकवाट निर्णय गरी यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न घरधनीसंग घरभाडा सम्झौता गरी आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउने गरी भौ नं ९३, २२४ र ४५४ वाट वार्षिक रु. ८ लाख ९८ हजार खर्च लेखेको छ। पालिकाले अत्यावश्यक तथा स्पष्ट प्रयोजन खुल्ने गरी कार्यालय प्रयोजनको घरभाडा खर्च लेख्नुपर्ने देखिन्छ।</p> | |
| २५ | | | <p>राजस्व ढिला दाखिला</p> | |
| २५. १ | | | <p> (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयवाट रु. ४०५८४।- सम्परीक्षण गरिएको ।</p> | ० |
| २५. २ | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|------------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|---|----------------------------|--------|------------|-------|------------|-------|---|----------------------------|--------|------------|-------|------------|-------|---|----------------------------|--------|------------|-------|------------|-------|--|
| | | | <p>वडा न. ८ को सम्बन्धमा संकलित राजस्व २/२ महिनाको फरकमा दाखिला गरेको देखिन्छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समयमै दाखिला गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वडा न.</th> <th>संकलन मिति</th> <th>राजस्व रकम</th> <th>दाखिला मिति</th> <th>दाखिला रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">८</td> <td rowspan="2">२०७८/०४/०१ देखि २०७८/०७/३०</td> <td rowspan="2">७२,१५५</td> <td>०६/११/२०७८</td> <td>३२९०५</td> </tr> <tr> <td>१२/०६/२०७८</td> <td>३९२५०</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">८</td> <td rowspan="2">२०७८/०८/०१ देखि २०७८/१२/३०</td> <td rowspan="2">११३०४७</td> <td>१०/०५/२०७८</td> <td>४६२२२</td> </tr> <tr> <td>१२/०६/२०७८</td> <td>६६८२५</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">८</td> <td rowspan="2">२०७९/०१/१० देखि २०७९/०३/३१</td> <td rowspan="2">१७३३२८</td> <td>०२/१९/२०७९</td> <td>७६४६४</td> </tr> <tr> <td>०३/३१/२०७९</td> <td>९६८६४</td> </tr> </tbody> </table> | वडा न. | संकलन मिति | राजस्व रकम | दाखिला मिति | दाखिला रकम | ८ | २०७८/०४/०१ देखि २०७८/०७/३० | ७२,१५५ | ०६/११/२०७८ | ३२९०५ | १२/०६/२०७८ | ३९२५० | ८ | २०७८/०८/०१ देखि २०७८/१२/३० | ११३०४७ | १०/०५/२०७८ | ४६२२२ | १२/०६/२०७८ | ६६८२५ | ८ | २०७९/०१/१० देखि २०७९/०३/३१ | १७३३२८ | ०२/१९/२०७९ | ७६४६४ | ०३/३१/२०७९ | ९६८६४ | |
| वडा न. | संकलन मिति | राजस्व रकम | दाखिला मिति | दाखिला रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | २०७८/०४/०१ देखि २०७८/०७/३० | ७२,१५५ | ०६/११/२०७८ | ३२९०५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | १२/०६/२०७८ | ३९२५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | २०७८/०८/०१ देखि २०७८/१२/३० | ११३०४७ | १०/०५/२०७८ | ४६२२२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | १२/०६/२०७८ | ६६८२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | २०७९/०१/१० देखि २०७९/०३/३१ | १७३३२८ | ०२/१९/२०७९ | ७६४६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ०३/३१/२०७९ | ९६८६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६ | | | <p>डोजरको इन्धन खर्च:</p> <p>पालिकाले यस वर्ष डोजरको इन्धन शिर्षकमा रु.२४ लाख ६५ हजार खर्च लेखेकोमा कुन-कुन योजनामा कति खपत भयो भनी सोको रेकर्ड समेत अद्यावधिक नगरेको तथा योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन समेत गरेको पाइएन। मेशिनको प्रयोगमा बार्षिक डोजर चालक तथा हेल्परको तलब वाहेक इन्धनमा मात्र रु.२४ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ। पालिकाले योजनामा भएको खर्च वराबरको प्राविधिक मूल्यांकन समेत नगरेकोले कुन-कुन योजनामा मेशिन प्रयोग भएको हो र कति कार्य भएको सोको एकिन हुन सकेन। मेशिनको प्रयोग पश्चात निर्माण कार्यको प्राविधिक मुल्यांकन गरी खर्च लेखाइकन गर्नुपर्दछ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| २७ | | | <p>खाना तथा विविध खर्च</p> <p>– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष विविध शिर्षकबाट ६६ लाख ०३ हजार खाना खाजा लगायत विविध कार्यक्रममा खर्च गरेको छ भने खर्चका प्रमाण हेर्दा विल मात्र आएको देखिन्छ र त्यस प्रकारको खर्च विभिन्न वडा तथा पालिकामा विषयगत शाखाका कार्यक्रममा भएको पालिकाले जानाकारी गराएको छ।यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ ।</p> | |
| २८ | | | <p>पालिका अनुदानबाट शिक्षकको तलब भत्ता:</p> <p>अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी वेगर पालिकाबाट तलब भत्ता खाने गरी पालिकाभित्र विभिन्न विद्यालयलाई रु. ५१ लाख ६९ हजार निकासा दिई खर्च लेखेको देखिन्छ। पालिकाभित्रका विद्यालयको स्वीकृत शिक्षक दरवन्दी पूर्ण रुपमा पदपूर्ती भई शिक्षकहरु कार्यरत रहेको अवस्थामा समेत वडा तथा नगरपालिका कार्यालयबाट निर्णय गरी वजेट विनियोजन तथा रकमान्तर गरी विद्यालयलाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिइएको देखिन्छ।अनुदान पश्चात सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारको सम्बन्धमा अनुगमन गरी सुधार नभएको विद्यालयलाई नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको अनुदान निकासा नदिने वा रोक्का गर्ने सम्बन्धमा अनुगमन तथा मुल्यांकन भएको देखिदैन।पालिकाले सार्वजनिक स्रोतको खर्चपश्चात सोको प्रतिफलको अध्ययन गरी पुन सोही शिर्षकमा अनुदान निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ।</p> | |
| २९ | | | <p>अनुगमन तथा भ्रमण खर्च:</p> <p>भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमण खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सो को अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने तथा भ्रमणलाई विश्वसनीय वनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरीक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | उल्लेख छ । नियम १९ मा जिल्लाभित्रको ठाउँको दुरीको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यस वर्ष विषयगत शिर्षक तथा कन्टिन्जेन्सी वाहेक चालू खर्च शिर्षकबाट रु. २५ लाख ६८ हजार खर्च लेखेको छ तर भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सहि सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ३० | | | वढी भुक्तानी:  (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ७५३००।- सम्परीक्षण गरिएको । | ० |
| ३१ | | | दिल वहादुर रम्तेल स्मृतीकप बिनियोजनभन्दा वढी खर्च – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले दिल वहादुर रम्तेल स्मृती कपको लागी १२ लाख विनियोजन गरेकोमा रु. १४४७६५४।०० खर्च गरेको देखिन्छ। कार्यक्रममा विनियोजन रकमभन्दा धेरै रकम खर्च भएकोमा सामग्री खरिद, खाजा खाना आदिमा खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा उक्त काम गरेको देखिएन। कार्यक्रममा खरिद गरिएको विभिन्न सामग्रीहरु तथा कपडाहरुको जिन्सी दाखिला र वितरणको भरपाई नभएको तथा कार्यक्रम पश्चात कार्यालयमा समेत दाखिला भएको देखिदैन। यसरी विनियोजन रकमभन्दा वढी रकम खर्च भएको रकम अनियमित देखिएको रु. | २४७,६५४ |
| ३२ | | | वढी दरमा भुक्तानी: ५६२।०७९।०३।२० सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा स्विकृत नमर्स तथा जिल्ला दररेटका आधारमा तयार गरी लागत अनुमान तथा प्राविधिक मुल्यांकन गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पालिकाले जनप्रिय युवाक्लव जराङको शौचालय निर्माण | ५,२८९ |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | गर्दा मेसिनको प्रयोग गरी माटो खन्ने कार्य गरेकोमा मानिसको दर राखि भुक्तानी गरेकोले ११.२३ घ मि कामको वढी दर रु.४७१ (हुनुपर्ने दर ८४, प्रयोग दर ५५५) दरले वढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु. | |
| ३३ | | | <p>नाफामुखी सस्थालाई अनुदान:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दिर्घकालिन पुँजि निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ। जसबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित सस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन। उदि उपलब्ध गराउने हो भने पनि सार्वजनिक रुपमा निशुल्क वा न्युन शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता भएपश्चात मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पालिकाले मासिक रुपमा सेवाग्राहीसंग विद्युल महशुल लिने ताकुमाझ लाकुरीवोट सामुदायिक ग्रामिण विद्युत वितरण सहकारी सस्थालाई चालु भौ नं ५२९ वाट रु.५०००००।०० र पुँजिगतवाट रु. १९७१७९।०० उपलब्ध गराएको छ। यसरी निशुल्क वा न्युन मुख्यमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चित नगरी नाफामुखी सस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराएको रकम अनियमित देखिएको रु..</p> | ६९७,१७९ |
| ३४ | | | <p>पदाधिकारी आर्थिक साहायता:</p> <p>गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा पाउने सुविधाको व्यवस्था रहेको तथा दफा १४ मा पदाधिकारीले यस ऐनले निर्धारण गरेको वाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाको वडा नं ४ वडा सदस्य कालु राम सार्किको मृत्यु साहायता भनी रु.१ लाख खर्च लेखेको छ। पालिकाले पदाधिकारीको भैपरी आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न वार्षिक रुपमा वीमा सुविधा उपलब्ध गराएकोमा आर्थिक साहायता भुक्तानी दिनु नियमसंगत देखिदैन। यसमा सुधार गर्नुपर्दछ।</p> | |
| ३५ | | | <p>नमुना विद्यालय:</p> <p>विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको क्रियाकलाप नं ११.१.२.४४५ मा तोकिएका नमुना विद्यालयहरूलाई तोकिएको काम सम्पन्न गरी विद्यालयले सोको जानाकारी गराई रकम माग गरेपछि स्थानीय प्राविधिकहरूले निरिक्षण गरी अनुदान उपलब्ध</p> | ८,०२९,६४३ |


| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अनुदान उपलब्ध गराउँदा विद्यालयसंग सम्झौता भए पश्चात पहिलो किस्तामा ३० प्रतिशत, स्ट्रक्चरल पार्टको काम सम्पन्न भए पश्चात दोस्रो किस्तामा अनुदान रकमको ५० प्रतिशत र बाँकी काम सम्पन्न भए पश्चात २० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले नमुना विद्यालय सुर्यज्योती मा वि लाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान वापत एकमुष्ठ रु.५६७५८३०।०० र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान वापत रु.२३५३७८३।०० अनुदान उपलब्ध गराएकोमा सोको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र अनुगमन मुल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु. | |
| ३६ | | | <p>कार्यालय भवन उद्घाटन खर्च:</p> <p>कार्यालयले खर्च गर्दा मितव्ययी हुने किसिमले खर्च गर्नुपर्दछ । यस कार्यक्रममा रु. १३१८२०७।०० खर्च गरेको देखिन्छ । खर्चमा टेण्ट र स्टेज निर्माणमा रु.२४७००१।००, प्रमुख अतिथी हेलिकप्टर चार्टर खर्च रु.२३००००।०० कर्मचारी सम्मान रु.४००००।०० गाडिभाडा रु.२८८०००।०० खाना खाजामा रु. १५९२००।०० तथा अन्य विविध शिर्षकमा रु. ३५४००६।०० खर्च भएको देखिन्छ। अनुत्पादक कार्यक्रममा ठुलो रकम खर्च भएकोमा सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खाना आदिमा खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा उक्त काम गरेको देखिएन। पालिकाले उद्घाटन प्रयोजनार्थ खरिद गरिएका सामाग्रिहरुको अभिलेख तथा कार्यक्रमपश्चातको प्रयोगको सुनिश्चितता समेत नगरेकोले यस्ता प्रकृतीका कार्यक्रममा हुने खर्च पुर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।</p> | |
| ३७ | | | <p>नागरिकता नम्बर दोहोरो तथा उल्लेख नभएको:</p> <p>सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ को दफा १९ मा विभागले स्थानीय तहका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित गर्न, स्थानिय तह विभाग र बैंक/ वित्तिय संस्थावीच प्रणालीगत सम्बन्ध स्थापित गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन केन्द्रिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण प्रविष्टि गरि अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानिय तहको हुन्छ। लेखापरीक्षण योजना अनुसार छनौटमा परेका वडाहरुको परीक्षण गर्दा देहायकालाभग्राहीको नागरिकता नम्बर दोहोरो गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत रु ८६३,७६० भुक्तानी गरिएको पाइयो। के कसरी नागरिकता नम्बर दोहोरो तथा उल्लेख नै नभएको हो गाँउपालिकाबाट यकिन गर्नुपर्दछ। साथै अन्य वडाहरुको समेत लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गरी भत्ता वितरण गरिनुपर्दछ। नागरिकता नम्बर दोहोरो भएका केहि लाभग्राहीहरुका उदाहरणहरु निम्नानुसार छन:</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|------|---------------|---------------------|------------------------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | सि.न | परिचय नम्बर | लाभग्राहीको नाम | लाभग्राहीको प्रकार | वडा न. | नागरिकता न. | | उमेर |
| | | | १ | २०१०१०१२०१७३६ | भुरमाया पनेरु | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | ४ | ११२ | ६९ | ३१९२० |
| | | | २ | २०२७०४१५००८११ | तुल कुमारी गुरुङ्ग | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | ४ | ११२ | ५१ | ३१९२० |
| | | | ३ | २००१०४२४००७७६ | चित कुमारी देवकोटा | जेष्ठ नागरिक | ४ | १४२२ | ७७ | ४८००० |
| | | | ४ | २०१२०९१५०१२१६ | आइते सार्की | जेष्ठ नागरिक दलित | ४ | १४२२ | ६६ | ३१९२० |
| | | | ५ | १९९५०१०५०३८३७ | तुलसी माया गुरुङ्ग | जेष्ठ नागरिक | ४ | १७४६ | ८३ | ४८००० |
| | | | ६ | २००२०७०८०११७४ | नन्द बहादुर गुरुङ्ग | जेष्ठ नागरिक | ४ | १७४६ | ७६ | ४८००० |
| | | | ७ | २००००२०५०७९६६ | भक्त बहादुर देबकोटा | जेष्ठ नागरिक | ४ | ७४७ | ७९ | ४८००० |
| | | | ८ | २००१०६०५०२५११ | हर्क बहादुर गुरुङ्ग | जेष्ठ नागरिक | ४ | ७४७ | ७७ | ४८००० |


| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | | | | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|--|-------------------|------------------|--------------|---|------|----|------------|--|
| | | | ९ | २००७०४२००२०१ ७ | रण बहादुर घले | जेष्ठ नागरिक | २ | १२५२ | ७१ | ४८००० | |
| | | | १० | २००७०४२००१८९ ४ | कान्छी घले | जेष्ठ नागरिक | २ | १२५२ | ७१ | ४८००० | |
| | | | ११ | २०३८०११२०२९२ ४ | आइती माया कामी | एकल महिला | ५ | १३५ | ४१ | ३१९२० | |
| | | | १२ | २००८०११००७९३ ८ | भक्त बहादुर गुदी | जेष्ठ नागरिक | ५ | १३५ | ७१ | ४८००० | |
| | | | जम्मा | | | | | | | ५११,६८० | |
| ३८ | | | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम तालिम | | | | | | | | |
| ३८.१ | | | लघु उद्यमको विकास र प्रवर्द्धनको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य अनुरूप पालिकामा सिलाइ कटाइ, गुडिया बनाउने, मुढा बनाउने लगायतका सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च सहित गरी रु. २३६,५५४०.०० खर्च गरेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न बमोजिम रहेका छन् । | | | | | | | | |
| ३८.२ | | | कर कट्टी: आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७ मा सेवा शुल्कको भुक्तानीमा १५% का दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम तालिम (MEDPA) अन्तर्गतका निम्न तालिम कार्यक्रममा पालिकाले तालिमको प्रकृति अनुसार भिन्न | | | | | | | २४,३६० | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|---|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------|-------|------|-----|------|--------------------|--------------|-------|------|-----|------|-------------------|---------------|-------|------|-----|------|-------------------|----------------|-------|------|-----|------|------------------|------------------|-------|------|-----|------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|
| | | | <p>प्रशिक्षकसँग विभिन्न मितिमा कार्यक्रम प्रशिक्षण वापतको पारिश्रमिक भुक्तानीमा १५% का दरले पारिश्रमिक कर कट्टी गरी दाखिला गर्नुपर्नेमा १% का दरले मात्र कर कट्टी गरेको देखिएकोले नपुग कर सम्बन्धितबाट असूल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>तालिमको प्रकार</th> <th>प्रशिक्षक</th> <th>पारिश्रमिक रकम</th> <th>कर कट्टी गर्नुपर्ने रकम</th> <th>कर कट्टी गरेको रकम</th> <th>नपुग रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गुडिया बनाउने</td> <td>सुस्मा गुरुङ</td> <td>२००००</td> <td>३०००</td> <td>२००</td> <td>२८००</td> </tr> <tr> <td>ढाकाको कपडा बनाउने</td> <td>मनिषा परियार</td> <td>३००००</td> <td>४५००</td> <td>३००</td> <td>४२००</td> </tr> <tr> <td>मुढा बुन्ने तालिम</td> <td>मन बहादुर मगर</td> <td>४००००</td> <td>६०००</td> <td>४००</td> <td>५६००</td> </tr> <tr> <td>मुढा बुन्ने तालिम</td> <td>जित बहादुर मगर</td> <td>४००००</td> <td>६०००</td> <td>४००</td> <td>५६००</td> </tr> <tr> <td>सिलाइ कटाइ तालिम</td> <td>खुम बहादुर दर्जी</td> <td>४४०००</td> <td>६६००</td> <td>४४०</td> <td>६१६०</td> </tr> <tr> <td colspan="5">जम्मा</td> <td>२४३६०</td> </tr> </tbody> </table> | तालिमको प्रकार | प्रशिक्षक | पारिश्रमिक रकम | कर कट्टी गर्नुपर्ने रकम | कर कट्टी गरेको रकम | नपुग रकम | गुडिया बनाउने | सुस्मा गुरुङ | २०००० | ३००० | २०० | २८०० | ढाकाको कपडा बनाउने | मनिषा परियार | ३०००० | ४५०० | ३०० | ४२०० | मुढा बुन्ने तालिम | मन बहादुर मगर | ४०००० | ६००० | ४०० | ५६०० | मुढा बुन्ने तालिम | जित बहादुर मगर | ४०००० | ६००० | ४०० | ५६०० | सिलाइ कटाइ तालिम | खुम बहादुर दर्जी | ४४००० | ६६०० | ४४० | ६१६० | जम्मा | | | | | २४३६० | |
| तालिमको प्रकार | प्रशिक्षक | पारिश्रमिक रकम | कर कट्टी गर्नुपर्ने रकम | कर कट्टी गरेको रकम | नपुग रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गुडिया बनाउने | सुस्मा गुरुङ | २०००० | ३००० | २०० | २८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ढाकाको कपडा बनाउने | मनिषा परियार | ३०००० | ४५०० | ३०० | ४२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुढा बुन्ने तालिम | मन बहादुर मगर | ४०००० | ६००० | ४०० | ५६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुढा बुन्ने तालिम | जित बहादुर मगर | ४०००० | ६००० | ४०० | ५६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सिलाइ कटाइ तालिम | खुम बहादुर दर्जी | ४४००० | ६६०० | ४४० | ६१६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | २४३६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|--|---------------|---------------|--------|-------|-------|--------|
| ३९ | | | <p>सामी परियोजना</p> <p>सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको लागि एकीकरण नेपाल, गोरखासँग मिति २०७६।१२।०९ देखि मिति २०७८।३।३२ सम्म लागू हुने Standard form of contract गरेको छ । जसमा सम्झौताको अवधिमा पनि प्रत्येक वर्ष सम्झौतालाई नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे अनुसार बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले २०७७/०४/१४ मा सम्झौता नविकरण गरी आर्थिक शर्त तथा सम्झौताको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि मिति २०७६।१२।२९ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कार्यशर्तनामा अनुसार नै लागू हुने गरी पत्राचार गरेको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा उक्त सम्झौता माग गर्दा पेश नभएकोले सुरुवाती सम्झौता रकम तथा कार्यशर्तनामावारे एकिन हुन सकिएन ।कार्यालयले यस वर्ष एकीकरण नेपालसँग रु. १९९९७७७.८६ को सम्झौता गरी एकीकरण नेपालले पेश गरेको संक्षिप्त बिलका आधारमा रु. १९८४८३१.९ भुक्तानी गरेको छ। कार्यालयले यस वर्ष गरेको नविकरण सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरु वापतको रकम समेत भुक्तानी भएकोमा कार्यक्रम भए नभएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पेश नगरी संक्षिप्त कार्यप्रगतिका आधारमा बिल भुक्तानी भएको देखिन्छ । एउटै सस्थाले विभिन्न पालिकामा सम्झौता गरी जिल्लास्तरमा गरेको संयुक्त कार्यक्रमहरुको लागत अनुमान तथा खर्च विवरण संक्षिप्त प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी गरेकोले दोहोरो पर्न सक्ने अवस्था समेत देखिन्छ। यस सम्बन्धमा गत विगत वर्षमा भएको लक्ष्य प्रगतीको समेत मुल्यांकन गरी एकै कार्यक्रमको लागी फरक फरक पालिकावाट दोहोरो भुक्तानी नभएको सुनिश्चितता गरी सम्झौताको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै संस्थाले आफ्नो कामको विस्तृत विवरण पेश नगरि संक्षिप्त कार्यप्रगतिका आधारमा बिल भुक्तानी गरेको देखिएकोले उक्त कार्य प्रभावकारी रुपमा संचालन भए नभएको एकिन हुन सकिएन ।</p> <p>मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी र दाखिला: मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३को नियम ६(ग) (आर्थिक ऐन, २०७६ वाट संसोधन) वमोजिम सरकारी निकाय तथा संघ संस्थाहरुले करार गरी खरिद गरेको बस्तु तथा सेवाको बिल भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कट्टा गरी सम्बन्धीत आपूर्तिकको नामवाट मूल्य अभिवृद्धि कर शिर्षकमा दाखिला गर्नुपर्नेव्यवस्था रहेकोमा एकीकरण नेपाल गोरखालाई गरेको निम्न भुक्तानीमानिम्नानुसारको मु. अ. कर रकमको संवन्धित आन्तरिक राजश्व मु.अ.कर समायोजन भएको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु ...</p> <table border="1" data-bbox="436 1323 1627 1393"> <tr> <td>१२।२०७८।०६।१९</td> <td>०४।२०७८।०६।१९</td> <td>४९६०५२</td> <td>६४४८६</td> <td>१९३४५</td> </tr> </table> | १२।२०७८।०६।१९ | ०४।२०७८।०६।१९ | ४९६०५२ | ६४४८६ | १९३४५ | ३६,५५९ |
| १२।२०७८।०६।१९ | ०४।२०७८।०६।१९ | ४९६०५२ | ६४४८६ | १९३४५ | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|--|------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|-------|-------|--|---------------|-------|--|--|--|-------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>०५।२०७८।०६।१९</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>६४।२०७८।१०।२४</td> <td>१३।२०७८।१०।२१</td> <td rowspan="2">४४१२००</td> <td rowspan="2">५७३५६</td> <td rowspan="2">१७२०६</td> </tr> <tr> <td></td> <td>१४।२०७८।१०।२१</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>३६५५१</td> </tr> </table> | | ०५।२०७८।०६।१९ | | | | ६४।२०७८।१०।२४ | १३।२०७८।१०।२१ | ४४१२०० | ५७३५६ | १७२०६ | | १४।२०७८।१०।२१ | जम्मा | | | | ३६५५१ | |
| | ०५।२०७८।०६।१९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६४।२०७८।१०।२४ | १३।२०७८।१०।२१ | ४४१२०० | ५७३५६ | १७२०६ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १४।२०७८।१०।२१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ३६५५१ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४० | | | <p>अनुगमन भत्ता</p> <p> (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. १४४००।- सम्परीक्षण गरिएको ।</p> | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४१ | | | <p>घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण</p> <p>घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण: प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशद्वारा निर्धारित तालिम तथा कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड बमोजिम तालिम केन्द्र बाहेक अन्य निकायबाट सञ्चालिम सबै प्रकारका तालिममा सम्बन्धित कार्यालयले सञ्चालन गरेको तालिम भए सोही कार्यालयको स्रोत व्यक्ति भएको अवस्थामा कक्षा लिए वापतको पारिश्रमिक नपाउने तर कार्यपत्र वापतको रकम पाउने व्यवस्था छ ।पालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा मापदण्डले तोके बमोजिम बाह्य प्रशिक्षकको हकमा कक्षा सञ्चालन तथा कार्यपत्र दुवै कार्य वापतको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउने तर आन्तरिक प्रशिक्षकको हकमा कार्यपत्र वापतको मात्र पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|--|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|---------|---------|---|------------------|---------|---------|---|------------------|---------|---------|-------|----------------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--------|---------|
| ४२ | | | <p>बाँकी रकम फिर्ता नभएको</p> <p>सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधी २०७७ को दफा २६ मा सामाजिकसुरक्षा कार्यक्रमको लागि निकास भएको रकम सोहि आर्थिक बर्षमा खर्च नभएमा संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा भत्ता वडा न. १ र २ को प्रभु बैक वारपाक शाखा वडा न. ३ देखि ७ सम्मको ग्लोवल आइएमई बैक, सूलिकोट शाखा र वडा न. ८ को सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैक भिमसेन थापा गाउपालिका घ्याम्पेशाल शाखामार्फत प्रथम, दोस्रो तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा देहाय बमोजिमको रकम वितरण गरि बाँकी रकम रु. १०६०३४३.३४ फिर्ता गर्नुपर्नेमा लेखापरीक्षणको क्रममा रु.४४६८७३.३४ मात्र फिर्ता गरेकोले बाँकी रकम संघिय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वैकको नाम</th> <th>अवधी</th> <th>निकास रकम</th> <th>वितरण रकम</th> <th>वाँकी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">प्रभु वैक वडा नं १ र २</td> <td>प्रथम त्रैमासिक</td> <td>६५९०१८६</td> <td>६५९०१८६</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>दोस्रो त्रैमासिक</td> <td>६६३३१३२</td> <td>६६३३१३२</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>तेस्रो त्रैमासिक</td> <td>६७००६०३</td> <td>६६६०६४३</td> <td>३९९६०</td> </tr> <tr> <td>चौथो त्रैमासिक</td> <td>६८०५४८४</td> <td>६७७७५०४</td> <td>२७९८०</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा (लागत कट्टी गरी र दोहोरो परी फिर्ता भएको रु. १३९७६८ सहित) लेखापरीक्षणको क्रममा रु.१३९,७६८ दाखिला भएकोले वाँकी रकम</td> <td>६७,९४०</td> </tr> </tbody> </table> | वैकको नाम | अवधी | निकास रकम | वितरण रकम | वाँकी रकम | प्रभु वैक वडा नं १ र २ | प्रथम त्रैमासिक | ६५९०१८६ | ६५९०१८६ | ० | दोस्रो त्रैमासिक | ६६३३१३२ | ६६३३१३२ | ० | तेस्रो त्रैमासिक | ६७००६०३ | ६६६०६४३ | ३९९६० | चौथो त्रैमासिक | ६८०५४८४ | ६७७७५०४ | २७९८० | जम्मा (लागत कट्टी गरी र दोहोरो परी फिर्ता भएको रु. १३९७६८ सहित) लेखापरीक्षणको क्रममा रु.१३९,७६८ दाखिला भएकोले वाँकी रकम | | | | ६७,९४० | १४३,९५८ |
| वैकको नाम | अवधी | निकास रकम | वितरण रकम | वाँकी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रभु वैक वडा नं १ र २ | प्रथम त्रैमासिक | ६५९०१८६ | ६५९०१८६ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दोस्रो त्रैमासिक | ६६३३१३२ | ६६३३१३२ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | तेस्रो त्रैमासिक | ६७००६०३ | ६६६०६४३ | ३९९६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | चौथो त्रैमासिक | ६८०५४८४ | ६७७७५०४ | २७९८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा (लागत कट्टी गरी र दोहोरो परी फिर्ता भएको रु. १३९७६८ सहित) लेखापरीक्षणको क्रममा रु.१३९,७६८ दाखिला भएकोले वाँकी रकम | | | | ६७,९४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|--|------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|--|------------------|----------|----------|---|--|------------------|----------|----------|---|--|----------------|----------|----------|---|---|--|--|--|--------|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>ग्लोववल आइएमई बैंक वडा न. ३ देखि ७</td> <td>प्रथम त्रैमासिक</td> <td>२४८७०११७</td> <td>२४७९४०९९</td> <td>७६,०१८</td> </tr> <tr> <td></td> <td>दोस्रो त्रैमासिक</td> <td>२४९७४३३७</td> <td>२४९७४३३७</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>तेस्रो त्रैमासिक</td> <td>२५५४१४३१</td> <td>२५५४१४३१</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td></td> <td>चौथो त्रैमासिक</td> <td>२५५३५०९७</td> <td>२५५३५०९७</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा (लागत कट्टी गरी र दोहोरो परी फिर्ता भएको रु. २८०,८६६.३४ सहित)</td> <td>७६,९४०</td> </tr> <tr> <td colspan="4">लेखापरीक्षणको क्रममा रु. २८०,८६६.३४ दाखिला भएकोले बाँकी रकम</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">कुल जम्मा</td> <td>१४३९५८</td> </tr> </table> <p>..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट साग्लिला विकास बैंकको रु. १८३७८४ सम्परीक्षण गरिएको र बाँकी रकम थप वेरुजु कायम गरिएको।</p> | ग्लोववल आइएमई बैंक वडा न. ३ देखि ७ | प्रथम त्रैमासिक | २४८७०११७ | २४७९४०९९ | ७६,०१८ | | दोस्रो त्रैमासिक | २४९७४३३७ | २४९७४३३७ | ० | | तेस्रो त्रैमासिक | २५५४१४३१ | २५५४१४३१ | ० | | चौथो त्रैमासिक | २५५३५०९७ | २५५३५०९७ | ० | जम्मा (लागत कट्टी गरी र दोहोरो परी फिर्ता भएको रु. २८०,८६६.३४ सहित) | | | | ७६,९४० | लेखापरीक्षणको क्रममा रु. २८०,८६६.३४ दाखिला भएकोले बाँकी रकम | | | | | कुल जम्मा | | | | १४३९५८ | |
| ग्लोववल आइएमई बैंक वडा न. ३ देखि ७ | प्रथम त्रैमासिक | २४८७०११७ | २४७९४०९९ | ७६,०१८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दोस्रो त्रैमासिक | २४९७४३३७ | २४९७४३३७ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | तेस्रो त्रैमासिक | २५५४१४३१ | २५५४१४३१ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | चौथो त्रैमासिक | २५५३५०९७ | २५५३५०९७ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा (लागत कट्टी गरी र दोहोरो परी फिर्ता भएको रु. २८०,८६६.३४ सहित) | | | | ७६,९४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लेखापरीक्षणको क्रममा रु. २८०,८६६.३४ दाखिला भएकोले बाँकी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल जम्मा | | | | १४३९५८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३ | | | <p>लागतको वाँडफाँड तथा उपभोक्ता अंश</p> <p> (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. १२९४९४।- सम्परीक्षण गरि उपभोक्ता अंश वापतको बाँकी रहेको थप वेरुजु कायम गरिएको ।</p> | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४ | | | पेशकी बाँकी | २५८,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------------------------|--|------------|------------|---------------|--|-----|---|----|-------------------------|-----------------------------------|-----------|---|----|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---|-----|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--|--|-----------------------|--|---------|--|----|------------|--------------------|----------|--|--|--------------------------|--|--------|--|--|-----------|--|-----------|--|
| | | | <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को परिच्छेद ५ मा पेशकी दिने तथा फर्छ्यौट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार कार्यालयले देहायअनुसार म्याद समाप्त भएको पेशकी हालसम्म फर्छ्यौट नगरेकोले उक्त पेशकी फर्छ्यौट गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>गो. भौ. न.</th> <th>पेशकीको विवरण</th> <th>पेशकी लिने ब्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>१३</td> <td>दिल बहादुर रम्तेल पार्क</td> <td>ओम सत्य साई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.</td> <td>१४,००,०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>८३</td> <td>चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश</td> <td>तृष्णा कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न</td> <td>२,१७,६७१</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>११३</td> <td>चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश</td> <td>तृष्णा कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न</td> <td>२,१७,६७१</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>म्याद कायम भएको जम्मा</td> <td></td> <td>१८३५३४२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>४८</td> <td>जग्गा खरिद</td> <td>होम बहादुर श्रेष्ठ</td> <td>२,५८,०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>म्याद सकिएको पेशकी जम्मा</td> <td></td> <td>२५८०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>कुल जम्मा</td> <td></td> <td>२०,९३,३४२</td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | गो. भौ. न. | पेशकीको विवरण | पेशकी लिने ब्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको नाम | रकम | १ | १३ | दिल बहादुर रम्तेल पार्क | ओम सत्य साई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. | १४,००,००० | २ | ८३ | चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश | तृष्णा कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न | २,१७,६७१ | ३ | ११३ | चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश | तृष्णा कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न | २,१७,६७१ | | | म्याद कायम भएको जम्मा | | १८३५३४२ | | ४८ | जग्गा खरिद | होम बहादुर श्रेष्ठ | २,५८,००० | | | म्याद सकिएको पेशकी जम्मा | | २५८००० | | | कुल जम्मा | | २०,९३,३४२ | |
| सि.नं. | गो. भौ. न. | पेशकीको विवरण | पेशकी लिने ब्यक्ती, फर्म वा कम्पनीको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | १३ | दिल बहादुर रम्तेल पार्क | ओम सत्य साई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. | १४,००,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ८३ | चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश | तृष्णा कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न | २,१७,६७१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ११३ | चनौटे तामालाबोट पाल्खु समपुरक प्रदेश | तृष्णा कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न | २,१७,६७१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | म्याद कायम भएको जम्मा | | १८३५३४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ४८ | जग्गा खरिद | होम बहादुर श्रेष्ठ | २,५८,००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | म्याद सकिएको पेशकी जम्मा | | २५८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कुल जम्मा | | २०,९३,३४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५ | | | <p>पालिका क्षेत्र बाहिरा खर्च</p> <p>अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २८ मा संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद वारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालय सौरपानी ४ लाई ६३-७-१-२ क्षेत्रफलको १० कित्ता जग्गा शिक्षालयको नाममा खरिद गरी पास</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | गरगिदिएको साथैयस शिक्षालयको होस्टेल चमेना गृह र ल्याव निर्माण कार्य बनाउने कार्यमा पालिकाले खर्च गरेको देखिन्छ ।स्थानीय विकास तथा सेवा प्रवाह गर्न पठाएको अनुदान रकमलाई क्षेत्र वाहिराका संघिय निकायमा खर्च गरेको उचित देखिएन । | |
| ४६ | | | <p>शिर्षक फरक पारी खर्च</p> <p>एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या निर्देशिका २०७४ अनुसार बजेट तथा खर्च लेखांकन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२)छ(२) मा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।१५५/२०७९।१।४ बहाकोट अकला कृषक समूह ६ का १७ कृषक मध्ये १५ जनालाई रु ३००००।०० र २ जनालाई रु २५०००।०० को दरले जम्मा ५१ वटा बाख्रा रु.५०००००।०० मा खरिद गरी वितरण गरेको देखिन्छ ।चालु अनुदान शिर्षकमा वजेट व्यवस्था गरी खर्च गर्नु पर्नेमा पुजीगत शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको छ । बाख्राको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन वीमा तथा ट्याग लगाएको पाईएन । साथै बाख्राको अवस्था बारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन । बाख्राको अनुदान सहि सदुपयोग भएको एकिन गरी कृषकलाई वार्षा पालनमा आईपर्ने समस्या समाधानको लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ ।त्यसै गरी पुजीगत शिर्षकबाट पालिका वृत्तचित्र निर्माण कार्यकोलागि पनि फलानो क्रियसनसँग संझौता गरी रु. ३९५००० खर्च लेखेको छ । एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या निर्देशिका २०७४ अनुसार बजेट तथा खर्च लेखांकन गर्नु पर्नेमा सो नगरेकोले विनियोजन तथा खर्च नियमसम्मत देखिएन ।</p> | ८९५,००० |
| ४७ | | | <p>ठेक्का लगत</p> <p>ठेक्काबाट भएको कामको अभिलेख काम हुने सबै सार्वजनिक निकायले म ले प फा नं ५०६ बमोजिमको ढाँचामा ठेक्कागत अभिलेख खाता र म ले प फा नं ५०७ बमोजिम ठेक्का सम्बन्धी गोश्वारा लगत राख्नु पर्दछ । पालिकाको कार्यालयले ठेक्कागत अभिलेख खाता र ठेक्का सम्बन्धी गोश्वारा लगत राखेको पाईएन । तोकिएको ढाँचामा ठेक्कागत अभिलेख खाता र ठेक्का सम्बन्धी गोश्वारा लगत खाता राखिनुपर्दछ ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| ४८ | | | <p>भेरियसन आदेश</p> <p>सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४(१) मा खरिद संझौता गर्दाको बखत पर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिती संझौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा भेरियसन आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । गाउपालिका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यको लागत अनुमान रु.६४९७००७८।८२ भएको र सो कार्य गर्न रु.४२३७१४२४।५२ मा नवकान्तिपुर कन्ट्रक्सन कम्पनि महाराजगञ्ज काठमाडौंसँग १८ महिनामा सक्ने गरी संझौता गरी कार्यसम्पन्न गरेको देखिन्छ । भेरियसन अडर रु ८६४१६८१.९७ पश्चात संझौता रकम रु ५१०१३१०६।३४ मध्ये कार्यसम्पन्नको अवस्था सम्म रु४९७६६३१६।०० खर्च गरेको देखिन्छ । शुरु संझौता भन्दा भेरियसन अडर गरी रु ७३९४८९२।०० खर्च गरेको देखिन्छ । खरिद संझौता गर्दाको बखत पर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा समेत भेरियसन गर्नु उचित देखिएन । भेरियसन गर्नु पर्ने कारणमा डण्डी बार बेन्डिङ्ग सेडुलिङ्ग विना प्रतिशतमा गणना गरेकोले डण्डिबारको परिमाण नपुगेको, लागत अनुमानमा क्वान्टिटि इष्टिमेशन गलत गरेको, स्यानीटरी आईटम नक्सामा भएको तर विओक्यूमा नभएको, डिजाईन नक्सा अनुसारको परिमाण अपुग रहेकोअर्थात समयमा भन्दा डिपिआर गलत तथा अपुरो भएको कारणबाट परिमाणको अनुमान भन्दा बढी प्रयोग भई भेरियसन गर्नु परेको उल्लेख छ । डिपिआर गर्ने तथा डिपिआर तथा लागत अनुमान स्वीकार गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई डिजाईन तथा लागत अनुमान यथार्थपरक बनाउनु पर्दछ ।</p> | |
| ४९ | | | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण:</p> <p>..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ४९४४९४।- सम्परीक्षण गरि वाँकी रहेको थप वेरुजु कायम भएको ।</p> | ० |
| ५० | | | <p>मूल्य अभिवृद्धिकर बढी भुक्तानी</p> <p>सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा सार्वजानिक निकायले बिल बिजकको भुक्तानी खरिद सम्झौताको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम दिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।पालिका दर रेट अनुसार ओपिसि सिमेन्ट प्रतिवोरा रु ८३०।० का दरले र पिसिसि सिमेन्ट प्रतिवोरा रु ७३०।०० दरले हिसाव गरी दर विश्लेषण गरेको देखिन्छ । लागत अनुमान रु ६६७०९८२।५१ भएको सौरापानी भण्डारी</p> | १८,७८५ |




| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|--|--------------|--------------------|---------|-----|--------------|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--------------------|--|-------|--|
| | | | <p>सडक निर्माणकार्यका लागि उपभोक्ता समितिले आर्जन एन्जल हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्सबाट ओपिसि सिमेन्ट सिमेन्ट खरिद प्रति वोरा रु.६२०।०० का दरले ४०० वोरा र रु.७२० का दरले ५५० वोरा खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी कम मुल्यमा खरिद गरेकोले मुल्यअभिवृद्धिकर वापत भुक्तान भएको रु.१८७८५।०० असुल हुनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>पालिका दर विश्लेषण</th> <th>खरिद दर</th> <th>फरक</th> <th>सिमेन्ट वोरा</th> <th>रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पिसिसि सिमेन्ट</td> <td>८३०</td> <td>६२०</td> <td>२१०</td> <td>४००</td> <td>८४०००</td> </tr> <tr> <td>ओपिसि सिमेन्ट</td> <td>८३०</td> <td>७२०</td> <td>११०</td> <td>५५०</td> <td>६०५००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१४४५००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">मुल्य अभिवृद्धि कर</td> <td>१८७८५</td> </tr> </tbody> </table> | | पालिका दर विश्लेषण | खरिद दर | फरक | सिमेन्ट वोरा | रु | पिसिसि सिमेन्ट | ८३० | ६२० | २१० | ४०० | ८४००० | ओपिसि सिमेन्ट | ८३० | ७२० | ११० | ५५० | ६०५०० | | | | | जम्मा | १४४५०० | | | | मुल्य अभिवृद्धि कर | | १८७८५ | |
| | पालिका दर विश्लेषण | खरिद दर | फरक | सिमेन्ट वोरा | रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पिसिसि सिमेन्ट | ८३० | ६२० | २१० | ४०० | ८४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ओपिसि सिमेन्ट | ८३० | ७२० | ११० | ५५० | ६०५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | जम्मा | १४४५०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | मुल्य अभिवृद्धि कर | | १८७८५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१ | | | <p>बाटो सरसफाईमा फरक दर</p> <p>सडक विभागको पहिरो तथा सामान्य ढुङ्गा सोहोरी सफा गर्ने कामको नर्मस नं २९.१९ मा ५०० घनमिटर कामको लागि दक्ष १ र अदक्ष ३ तथा मेशिन ६ घण्टा लाग्ने उल्लेख छ । जिल्ला दर रेट अनुसार १ दक्ष ज्यामीको रु.११५० र ३ अदक्षको रु.८१० का दरले रु.२४३० गरी ज्यामि लागत रु ३५८० तथा विभागीय हायर दर अनुसार एकजाभेटरको प्रतिघण्टा रु.१८००।०० र ईन्धन लगायत अन्य खर्च रु.२६५५ समेत रु.४४५५।०० प्रति घण्टाका दरले ईक्युपमेन्ट लागत रु.२६७३० गरी जम्मा ५०० घनमिटरको लागि रु.३०३१०।०० लाग्ने देखिएकाले १ घनमिटरको रु ६०.६२ लागत पर्न जानेदेखिन्छ । पालिकाले नरम माटो खन्ने कार्यको दर लगाएर पहिरो पन्छाउने तथा सरसफाई गरेको देखिन्छ। निम्न स्थान तथा मितिको सडक सरसफाई भुक्तानी गर्दा नरम माटो खन्ने दर सडक सफा गर्ने दर भन्दा बढी दर भएकोले बढी भुक्तानी भएको साथै यस्तो प्रकृतिका अन्य कार्य भएको भए सो समेत असुल गरी आगामी दिनमा सुधार गर्नु पर्दछ ।</p> | २२८,११० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | | | | बेरुजु रकम | | | |
|------|------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------|----------|---------|
| | | | गो भ न र मिति | आयोजनाको नाम | भुक्तानी प्रति घनमिटर | हुनुपर्ने दरप्रति घनमिटर | बढी भुक्तानी गरेको दर | परिमाण | जम्मा रु | |
| | | | ९।०७८।६।१९ | वडा न ६ सडक सरसफाई | ८५ | ६०.६२ | २४.३८ | २३६१ | ५७५६१ | |
| | | | ३।०७८।६।१९ नुपुर कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स | वडा न ६ र ७ सडक सरसफाई | ८७ | ६०.६२ | २६.३८ | २५८५ | ६८१९२ | |
| | | | २८।२०७८।९।२ | दशैबाटो सरसफाई वडा नं ७ र ८ | ८४ | ६०.६२ | २३.३८ | ४३७८ | १०२३५७ | |
| | | | | | | | जम्मा | ४९४६ | २२८११० | |
| ५२ | | | सट्टा शिक्षकको तलव: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था रहेको छ।जसअनुसार स्थानीय तहले आधारभुत तथा माध्यामिक तह सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन, शिक्षक दरवन्दी मिलान, परिक्षा व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पश्चात स्रोत केन्द्र सम्वन्धी व्यवस्था खारेज भएता पनि पालिकाले स्रोतव्यक्तिको रुपमा सुर्यज्योती माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक भिम कुमार श्रेष्ठलाई पालिकामा कामकाज गर्ने गरी सरुवा गरी निजको सट्टामा एलिशा श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरी तलव भत्ता शिर्षकमा मासिक ३७९९० का दरले चाडपर्व तथा पोषाक खर्च वापत रु. ५०३८७०।०० खर्च लेखेको देखिन्छ।यसरी पालिकाको शिक्षा महाशाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेपश्चात पनि पालिकामा व्ययभार | | | | | | | ५०३,८७० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | |
|-------|------------|-----------|---|------------|-------|-----|--|--|--|--|
| | | | पर्नेगरी सामुदायिक शिक्षकको योग्यता, अनुभव, सेवा आयोगको छनौट प्रक्रिया फरक भएको अवस्थामा समेत शिक्षक नियुक्ति गरी तलव भत्ता भुक्तानी दिएको रकम अनियमित देखिएको रु | | | | | | | |
| ५३ | | | <p>अवकास सुविधा:</p> <p>साविक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४।१।२५ को पत्रानुसार सेवा करारमा कार्यरत स्वीकृत दरवन्दी भित्रका कर्मचारीलाई शुरु तलव, पोषाक तथा चाडपर्वको रकम मात्र दिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले करार सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी अवकास प्रोत्साहन वापत रु.२७००००।०० खर्च लेखेको छ।पालिकाले उक्त शिर्षकमा खर्च लेख्नु अघि कुनै पनि कानुनी आधार तयार नगरेको तथा योगदानमुलक अवकास कोषको समेत व्यवस्था नगरी पटके निर्णयका आधारमा यस वर्ष रु.२७००००।०० खर्च लेखेकोमा खर्च लेख्ने कानुनी आधार पेश गर्नुपर्ने रु</p> | २७०,००० | | | | | | |
| ५४ | | | <p>कम करकट्टी:</p> <p>आयकर ऐनको दफा ८७ र ८८ मा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले कक्षा १ देखि ५ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राजकुमार देवकोटालाई कार्यदेश दिई रु.४९८९९५।०० भुक्तानी गरेकोमा १५ प्रतिशतले रु.७४८४९।०० करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.४८२०८।०० मात्र करकट्टी गरेकोले नपुग कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> | २६,६४९ | | | | | | |
| ५५ | | | कृषि अनुदानतर्फ देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार रहेका छन्। | | | | | | | |
| ५५.१ | | | सरकारी अनुदान रकमको वितरण, सदुपयोग सही एवं समुचित तरिकाले गरी खर्चको सार्वजनिकरण एवं अनुगमन हुनु पर्दछ र सो को प्रभावकारीता मापन गर्ने संयन्त्र विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि आए नआएको संवन्धमा प्रतिवेदन वनाउनुपर्दछ । साथै अनुदानमा विउ वितरण गर्दा जग्गाको स्वामीत्व हेरी मात्र वितरण गर्नुपर्दछ । यस वर्ष संचालित केही कार्यक्रमहरु देहायअनुसार छन्। | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ नं</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | भौ नं | विवरण | रकम | | | | |
| भौ नं | विवरण | रकम | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | |
|------|------------|-----------|-------|--|--------|
| | | | ८१ | तंसरा कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म | १००००० |
| | | | ४,५ | वाँझो जग्गामा खेति गर्नेलाई प्रोत्साहान प्रतिरोपनी ३०००का दरले | ४८६००० |
| | | | ११ | डाले घाँस तथा भुई घासको विउ वितरण | ८०००० |
| | | | १४ | कुखुराको चल्ला वितरण | २००००० |
| | | | १६ | कन्य च्याउको विउ वितरण | ५०००० |
| | | | २० | पशु औषधी वितरण | ३१४९६० |
| | | | २२ | मकैको विउ वितरण | १५०००० |
| | | | | भकारो सुधार कार्यक्रम | १३५००० |
| | | | | लागत साझेदारीमा वास्त्रा पर्वद्धन | ५७५००० |
| | | | ४३,८७ | गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान प्रतिकृषक ३००० का दरले | ४०८००० |
| | | | ५७ | ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण | ३१३९९८ |
| | | | ६० | ५० प्रतिशत अनुदानमा राँगा वितरण | २२०००० |
| | | | ७६ | पशु औषधी वितरण | १०८१५४ |
| | | | ८५ | कृषक पुरस्कार | ११९९९७ |
| | | | ९१ | प्रविधि हस्तान्तरण | ३२१००० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|---|------------|----------------------|--------|-----|------------------------------------|--------|-----|--------------------------------|-------|-----|----------|--------|-------|--|---------|--|
| | | | <table border="1"> <tr> <td>९६</td> <td>वंगुर पाठापाठी वितरण</td> <td>३२१०००</td> </tr> <tr> <td>१०२</td> <td>डाले घाँस तथा भुईँ घासको विउ वितरण</td> <td>११०३००</td> </tr> <tr> <td>१०३</td> <td>गोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन</td> <td>६३०००</td> </tr> <tr> <td>१०६</td> <td>पशु विमा</td> <td>५८०२१०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>४६५६६१९</td> </tr> </table> | ९६ | वंगुर पाठापाठी वितरण | ३२१००० | १०२ | डाले घाँस तथा भुईँ घासको विउ वितरण | ११०३०० | १०३ | गोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन | ६३००० | १०६ | पशु विमा | ५८०२१० | जम्मा | | ४६५६६१९ | |
| ९६ | वंगुर पाठापाठी वितरण | ३२१००० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०२ | डाले घाँस तथा भुईँ घासको विउ वितरण | ११०३०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०३ | गोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन | ६३००० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १०६ | पशु विमा | ५८०२१० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ४६५६६१९ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार रहेका छन।</p> <p>अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको संबन्धमा अनुगमन प्रभावकारी छैन भने अनुदान पश्चातको उपलब्धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट प्राप्त लाभको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा अनुदानको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुदान रकम विभिन्न तरिकावाट साना साना कार्यक्रम वनाई वितरण गर्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने र यसले उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि नगर्ने हुदा ठुला अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरी कृषि पेशालाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अनुगमन प्रभावकारी वनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) परे नपरेको एकिन गरी लिखित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> <p>(ख) कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर वनाउन सरकारले कृषि वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले कृषि क्षेत्र तथा पशु क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान दिएकोमा अनिवार्य वीमा गरेमा मात्र अनुदान दिने नीति तय गर्नुपर्नेमा वीमा गर्ने गराउने तर्फ नगरपालिकाले ध्यान नदिइ अनुदानका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको देखियो । एक सरकारले ल्याएको नीतिलाइ अर्को सरकारले सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।</p> <p>(ग) अनुदानमा ठुलो रकम खर्च भएकोमा जग्गाको स्वामित्व एकिन गरेको छैन जसले गर्दा अनुदानको वास्तविक क्षेत्रमा खर्च भइ अनुदानको सहि सदुपयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। साथै वाखाको खोर सुधार कार्यक्रम, कुखुराको खोर सुधार कार्यक्रम तथा पलास्टिक टनेल निर्माण कार्यमा निर्माण सामाग्री खरिदको विलको आधारमा अनुदान वितरण भएको र निर्माण कार्यको प्राविधिक मुल्यांकन नभएकोले अनुदानको सहि सदुपयोग भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन</p> <p>(घ) पालिकाले एकै प्रकृतीका अनुदान कार्यक्रम विभिन्न वडा तथा नगरवाट सञ्चालन गरेको भएता पनि कार्यक्रममा एकरूपता भएको देखिदैन। लागत सहभागिता तथा अनुदान भुक्तानीका मापदण्ड अधिकांश वडास्तरको सिफारिसका आधारमा तयार गरी एकै प्रकारका</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|----------|------------|-----------|---|------------|
| | | | अनुदान कार्यक्रममा पनि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकावाट खरिद नगरी उपभोक्ताका विलका आधारमा अनुदान दिइएको छ। साथै मापदण्डमा एकरूपता नहुँदा कुनै वडामा एउटै प्रकृतीको कार्यक्रममा लागत सहभागिता र कुनै वडामा शतप्रतिशत अनुदान दिइएकोले निश्चित मापदण्ड तथा कार्यविधी तयार गरी एकमुष्ठ रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गरी समानता कायम हुने गरी अनुदान वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। | |
| ५५. २ | | | भरपाई स्पष्ट नभएको:  (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ३१३९९८।- सम्परीक्षण गरिएको । | ० |
| ५५. ३ | | |  (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ८३००।- सम्परीक्षण गरिएको । | ० |
| ५६ | | | दुर्गा मा वि स्वर्ण महोत्सव खर्च: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पुर्वाधार विकास तथा दिर्घकालिन पुँजि निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा पालिकाले शिक्षा वजेटतर्फ भौ नं ३५ र ५० वाट स्वर्ण महोत्सव किताव छपाई खर्च तथा फ्रेम खरिद गर्न दुर्गा मा वि लाई रु.४५००००।०० निकासा दिएको देखिन्छ भने छपाई भएको किताव तथा फ्रेमको दाखिला समेत पेश गरेको छैन। आन्तरिक आय रु.६१ लाख मात्र भएको पालिकाले संघ तथा प्रदेशवाट प्राप्त अनुदान दिर्घकालिन पुँजि निर्माणमा प्रयोग नगरी यस प्रकार कार्यक्रममा खर्च गरेको रकम अनियमित देखिएको | ४५०,००० |
| ५७ | | | छात्रवृत्ति निकासा:  (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ७६८००।- सम्परीक्षण गरिएको । | ० |


| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| ५८ | | | <p>विद्यालय सुधार योजना तथा लेखापरीक्षण अनुदान:</p> <p>विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८।७९ को क्रियाकलाप नं २.७.१३.१० मा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधारभुत तह सञ्चालित विद्यालयहरूका लागि प्रति विद्यालय रु १० हजार र माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरूमा प्रति विद्यालय रु १५ हजारको दरले सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण शिर्षकमा एकमुष्ट अनुदान निकासी दिने व्यवस्था छ। यस वर्ष पालिकाले ३७ वटा विद्यालयमा सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण बापत रु ४,२०,०००।-निकासी गरी खर्च लेखेकोमा निकासी भएको विद्यालयको आर्थिक वर्षको सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नभएकोले सामाजिक आर्थिक लेखापरीक्षण गराइ सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु</p> <p>..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट १६ विद्यालयको रु. १३५०००।- सम्परीक्षण गरि बाँकी थप बेरुजु कायम भएको।</p> | ५१५,००० |
| ५९ | | | <p>ईन्टरनेट जडान अनुदान:</p> <p>..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट ४ विद्यालयको रु. ४८०००।- सम्परीक्षण गरि बाँकी थप बेरुजु कायम गरिएको।</p> | ० |
| ६० | | | <p>..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. ३१३२०।- सम्परीक्षण गरिएको।</p> | ० |
| ६१ | | | <p>अध्यक्षसंग गरिवी निवारण कार्यक्रम:</p> <p>वारपाका सुलिकोट गाउँपालिकावाट जारी गाउँपालिका अध्यक्षसंग गरिवी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दफा ९ मा छनौट भएका व्यक्ति वा सस्थालाई प्रथम र दोस्रो किस्ता गरी रु.२ लाख उपलब्ध गराइने र कार्यक्रम सञ्चालन भएको १ वर्ष ६ महिना पछि १ लाख र २ वर्ष अगावै बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकावाट प्राप्त प्रमाणित विवरण अनुसार</p> | १,३००,००० |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------|---|---------------|-------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------|---|--------|---------------|---------------------|---|--------|---|--------|-------------|----------------------------------|---|--------|---|--------|--------------|-------------------------|---|--------|---|--------|------------------|------------------|---|--------|---|--------|--------------|-----------------|---|--------|---|--------|------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------------|-----------------------------|---|--------|---|--------|-------|--|--|---------|--------|---------|--|
| | | | देहायवमोजिम सस्थालाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम २०७८ जेठ मसान्तसम्म पालिकामा फिर्ता गरिसक्नुपर्नेमा नगरेकोले सम्बन्धित व्यक्तिवाट असुल गर्नुपर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>व्यक्तिको नाम</th> <th>सस्थाको नाम</th> <th>वडा नं</th> <th>सापटी रकम</th> <th>वुझाएको रकम</th> <th>वाँकि रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सुष्मा वराम</td> <td>सुलिकोट एनिमल फार्म प्रा लि</td> <td>६</td> <td>१०००००</td> <td>०</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>इन्द्र व वराम</td> <td>कुसुनथली कृषि फार्म</td> <td>३</td> <td>१०००००</td> <td>०</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>शेर व गुरुङ</td> <td>गुरुङ लोकल कुखुरा पोल्ट्री फार्म</td> <td>८</td> <td>२०००००</td> <td>०</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>शान्ति गुरुङ</td> <td>सुस्मिता पोल्ट्री फार्म</td> <td>८</td> <td>२०००००</td> <td>०</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>खिल प्रसाद पनेरु</td> <td>पनेरु वाखा फार्म</td> <td>८</td> <td>२०००००</td> <td>०</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>दर्ग व तामाङ</td> <td>दर्ग वाखा फार्म</td> <td>४</td> <td>२०००००</td> <td>०</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>भगवान भट्ट</td> <td>कान्छा वाखा फार्म</td> <td>५</td> <td>२०००००</td> <td>१०००००</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>सन्तोष भुजेल</td> <td>सन्तोष माछा तथा वंगुर फार्म</td> <td>५</td> <td>२०००००</td> <td>०</td> <td>२०००००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>१६०००००</td> <td>२०००००</td> <td>१३०००००</td> </tr> </tbody> </table> | व्यक्तिको नाम | सस्थाको नाम | वडा नं | सापटी रकम | वुझाएको रकम | वाँकि रकम | सुष्मा वराम | सुलिकोट एनिमल फार्म प्रा लि | ६ | १००००० | ० | १००००० | इन्द्र व वराम | कुसुनथली कृषि फार्म | ३ | १००००० | ० | १००००० | शेर व गुरुङ | गुरुङ लोकल कुखुरा पोल्ट्री फार्म | ८ | २००००० | ० | २००००० | शान्ति गुरुङ | सुस्मिता पोल्ट्री फार्म | ८ | २००००० | ० | २००००० | खिल प्रसाद पनेरु | पनेरु वाखा फार्म | ८ | २००००० | ० | २००००० | दर्ग व तामाङ | दर्ग वाखा फार्म | ४ | २००००० | ० | २००००० | भगवान भट्ट | कान्छा वाखा फार्म | ५ | २००००० | १००००० | १००००० | सन्तोष भुजेल | सन्तोष माछा तथा वंगुर फार्म | ५ | २००००० | ० | २००००० | जम्मा | | | १६००००० | २००००० | १३००००० | |
| व्यक्तिको नाम | सस्थाको नाम | वडा नं | सापटी रकम | वुझाएको रकम | वाँकि रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सुष्मा वराम | सुलिकोट एनिमल फार्म प्रा लि | ६ | १००००० | ० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इन्द्र व वराम | कुसुनथली कृषि फार्म | ३ | १००००० | ० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शेर व गुरुङ | गुरुङ लोकल कुखुरा पोल्ट्री फार्म | ८ | २००००० | ० | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शान्ति गुरुङ | सुस्मिता पोल्ट्री फार्म | ८ | २००००० | ० | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| खिल प्रसाद पनेरु | पनेरु वाखा फार्म | ८ | २००००० | ० | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दर्ग व तामाङ | दर्ग वाखा फार्म | ४ | २००००० | ० | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भगवान भट्ट | कान्छा वाखा फार्म | ५ | २००००० | १००००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सन्तोष भुजेल | सन्तोष माछा तथा वंगुर फार्म | ५ | २००००० | ० | २००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | १६००००० | २००००० | १३००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट वगाए वाखा फार्मको रु. १०००००।- सम्परीक्षण गरिएको । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| ६२ | | | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम | |
| ६२.१ | | | <p>कामको लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७) को दफा ४ (३) मा श्रममुलक आयोजना छनौट गर्दा स्थानिय तहको वार्षिक योजना तर्जुमाका सबै चरण पुरा गरी आयोजना बैंक तयार गर्नुपर्ने र यसरी स्वीकृत भई आयोजना बैंक रहेको आयोजनाहरुबाट प्राथमिकता क्रममा रहेको बेरोजगार व्यक्तिको संख्याको आधारमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७६ दफा ४५ (१) ख मा हाजिरीको अभिलेख वडा समितिमा पुनरावलोकनको लागि पेश गर्नुपर्नेछ र ४५(१) मा वडा समितिले कार्य प्रगतीको आधारमा लाभग्राहीको हाजिरीको आवश्यक पुनरावलोकन गरी भुक्तानीको लागि रोजगार केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को प्रगति विवरण अनुसार सुचिकृत बेरोजगारको संख्या १८०१ रहेकोमा १०९३ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। कुल रोजगार दिन ३६१३३ भएको देखिन्छ यसलाई आधार मान्दा प्रति व्यक्ति औषत ३३.० दिन रोजगार पाएको देखिन्छ। सो कार्यको लागि कुल विनियोजित बजेट रु २६०१२०००। मध्ये २२०७३२९६। खर्च गरी बाँकी रकम रु. ३९३८७०४। फिर्ता गएको देखिन्छ ।माथी उल्लेखित व्यवस्था अनुसार आयोजना बैंक नरहेको तथा भुक्तानीको लागि वडा समितिले पुनरावलोकन गरी रोजगार केन्द्रमा सिफारिस गरी भुक्तानी व्यवस्था गरेको पाईएन ।बेरोजगारी पनि रहेको तथा बजेट पनि भएको अवस्थामा योजना बैंक तथा सक्रिय श्रमिक नभएको र पालिकाको तर्फबाट उचित पहल नभएको कारण रोजगारी तथा आय आर्जन गरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने यस कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसारको कार्य भएको देखिदैन । यस सम्बन्धमा पालिकाले उचित पहल कदमी लिई आयोजना बैंक बनाई सोहीबाट सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी र आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी जीवनस्तरमा सुधार एवं गरिबी निवारणमा जोड दिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गोरेटो बाटो तथा सिढी निर्माण, ढल निकास, मन्दिर निर्माण लगायतका निर्माण कार्य भएकोमा पालिकामा पेश भएको श्रमिकको डोर हाजिरी परीक्षण गर्दा हाजिरी केरमेट गरेको, अनुपस्थितको संकेतलाई केरेर उपस्थित बनाएको, हाजिरीमा टिपेक्स लगाइ सच्याएको, नेपाली क्यालेण्डर अनुसार ३० गते नभएको महिनामा ३० गतेको समेत हाजिरी गरेको देखियो ।रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगार श्रमिकको पहिचान गरी स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी गराइ सामुदायिक विकासका साथै आय आर्जनको समेत अवसर प्रदान गर्नु रहेकोमा सम्पन्न कामको मूल्यांकनमा नापी किताबका साथै श्रमिकको डोर हाजिरीको उत्तिकै महत्व हुने हुँदा नापी तथा डोर हाजिरी लाई समेत स्पष्ट एवं अद्यावधिक गरी राख्ने कुरामा पालिकाले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।यस सम्बन्धी अन्य व्यहोरा निम्न बमोजिम रहेका छन् ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|---|------------|
| ६२.२ | | | गो भौ नं १०१।२०७८।१२।२६ मा आँपस्वारा देखि चौतारा गोरेटो बाटो निर्माण वडा नं ५ को कार्य गर्न ३० श्रमिकको डोर हाजिरी पेश भएकोमा २९ दिन रहेको २०७८ को माघ महिनामा ३० गते समेतको हाजिरी पेश गरी भुक्तानी गरेको देखिएकोले प्रति श्रमिक प्रति दिन रु ५७७ का दरले ३० श्रमिकको हुँदै नभएको १दिनको हाजिरी बनाएर भुक्तानी गरेको सम्बन्धितबाट असूल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु... | १७,३१० |
| ६२.३ | | | गो भौ नं १२८।२०७९।१।०७ मा भण्डारीगाउँ देखि सुगुंगडाडा सम्म गोरेटो बाटो निर्माणको कार्य गर्न २० श्रमिकको डोर हाजिरी पेश भएकोमा २९ दिन रहेको २०७८ को माघ महिनामा ३० गते समेतको हाजिरी पेश गरी भुक्तानी गरेको देखिएकोले प्रति श्रमिक प्रति दिन रु ५७७ का दरले २० श्रमिकको हुँदै नभएको १ दिनको हाजिरी बनाएर भुक्तानी गरेको सम्बन्धितबाट असूल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु... | ११,५४० |
| ६२.४ | | | गो भौ नं १४४।२०७९।०१।२० मा खाचौक भञ्ज्याङ सिटी बाटो निर्माणको कार्य गर्न रु. ४५६९८४। को लागत अनुमान रहेकोमा नापी तथा कार्यसम्पन्न रु ४५८७२९।० रहेको भुक्तानी भने रु. ४६१५९६ भएको देखियो तर श्रमिकको डोर हाजिरी परीक्षण गर्दा रु. ४३६२१२।०० को मात्र पेश भएकोले काम भन्दा बढी भएको भुक्तानी सम्बन्धितबाट असूल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु.. | २५,३८४ |
| ६३ | | | <p>औषधी खरिद</p> <p>पालिकाले रु. २२९८३६९।७२ को लागत अनुमान तयार गरी ईबिडिडको प्रकृयाबाट बोलपत्र परेका ४ मध्ये सबैभन्दा घटी रु ११२७१७१।६९ (५०.९६% घटी) कबोल गर्ने युनिग्लोब हेल्थकेयर प्रा.लि.सँग मिति २०७८।१२।०१ मा सम्झौता गरी रु. १०१८३०३।०० को औषधि खरिद गरेको छ ।सोही दरलाई आधार मानेर पालिकातर्फबाट रु ६६३५९५। सहित कुल औषधी खरिदमा रु १६८१८९८।०० खर्च गरेको छ ।यस सम्बन्धी देखिएको व्यहोराहरु निम्नानुसार छनः</p> <p>Ø खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो नखुलेको ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम |
|------|------------|-----------|--|------------|
| | | | <p>Ø आपूर्ति हुने औषधि डब्लु.एच.ओ. सटिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञात मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको तथा उक्त औषधि बिक्रीको लागि होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको ।</p> <p>Ø आपूर्ति भएका औषधी एंवम सर्जिकल समान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।</p> <p>Ø औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र जिल्लाबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रूपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको ।</p> <p>Ø औषधिको खर्च घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पर्ने एकमुष्ट घटाउने गरेको ।</p> <p>Ø तसर्थ औषधिको खरिद, आपूर्तिदाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधिहरु जिम्मेवारी जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| ६४ | | | कोभिड १९ महामारी प्रभावित नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम | |
| ६४.१ | | | <p>कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम अधिकतम लाभग्राही परिवार संख्या ६५१ लाई रु. १००००।०० का दरले राहत स्वरुप संघीय सरकारबाट रु. ६५१००००।०० बजेट प्राप्त भएको छ । कार्यविधि अनुसार कोभिड १९ महामारीमा बन्दाबन्दीको कारणबाट भइरहेको रोजगारी गुमाएका अति विपन्न नागरीकलाई वडागत सिफारिशको आधारमा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस शीर्षक अन्तर्गत वडा नं १ बाट ५, वडा नं २ बाट २९, वडा नं ३ बाट ७५, वडा नं ४ बाट १०७, वडा नं ५ बाट ५५ वडा नं ६ बाट ५३ वडा नं ७ बाट ६० वडा नं ८ बाट ३५ सहित कुल ४१९ जनालाई रु १०००० का दरले ४१९००००। नगद हस्तान्तरण गरेको देखियो । यसरी वडाले कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम अति विपन्न नागरिकको छनौटमा निर्धारित मापदण्डहरूलाई आधार लिइ तथा एकै परिवारमा दोहोरो नपर्ने किसिमले वितरण गरेको सम्बन्धमा एकिन गर्न सकिएन । कार्यालयले कार्यविधिमा उल्लिखित व्यवस्थाको पालना गर्दै एकै परिवारमा दोहोरो नपर्ने किसिमले राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |

| क्रम | भौचर नम्बर | भौचर मिति | बिषय | बेरुजु रकम | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|---------------|------------|-----|---------------|----------|-----------|---------------|---|-----------|-------|--|------------|-----------|
| ६४. २ | | | <p>प्रमाण पेश गर्नुपर्ने: ८ वटा वडाका ४१९ जनालाई कोभिड सम्बन्धी नगद हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७८।०८।२८ को कार्यपालिकाको निर्णय भएकोमा निम्न भौचरबाट वितरण भएको नगद अनुदानको भरपाई पेश नभएकोमा सो को प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो भौ नं मिति</th> <th>वितरित वडा</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४३।२०७८।०९।२८</td> <td>१, २ र ८</td> <td>480000.00</td> </tr> <tr> <td>६८।२०७८।१०।२५</td> <td>५</td> <td>530000.00</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>1010000.00</td> </tr> </tbody> </table> | गो भौ नं मिति | वितरित वडा | रकम | ४३।२०७८।०९।२८ | १, २ र ८ | 480000.00 | ६८।२०७८।१०।२५ | ५ | 530000.00 | जम्मा | | 1010000.00 | १,०१०,००० |
| गो भौ नं मिति | वितरित वडा | रकम | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३।२०७८।०९।२८ | १, २ र ८ | 480000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ६८।२०७८।१०।२५ | ५ | 530000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | 1010000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ६५ | | | <p>शिक्षण सिकाइ अनुदान:</p> <p> (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असूल भई पेश भएको आधारमा मिति २०७९। १२।१७ को निर्णयबाट रु. २०२७०६५।- सम्परीक्षण गरिएको ।</p> | ० | | | | | | | | | | | | |

संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजू

| क्र.सं. | बेरुजुको विवरण | रकम |
|---------|--|-----------|
| १ | स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस स्थानीय तहले २०७८।७९ को आर्थिक कारोबारको चौमासीक रुपमा नगरी वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको वेरुजुलाई अन्तिम हालसम्म पालिकाले फर्छ्यौट गरेको छैन । अतः उक्त रकम असुल फर्छ्यौट गर्नुपर्ने रु | 204800.00 |

| क्र.सं. | बेरुजुको विवरण | | | रकम |
|---------|--|--|-------------------|--------------------|
| | गो.भौ | व्योहोरा | रकम | |
| | १४ | शिक्षा चालु अर्न्गत माझथर मा वि ११।१२ कक्षा संचालनको अनुदानको प्रगती प्रतिवेदन वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु | २००००० | |
| | | अन्तर सरकारी अख्तियारीतर्फ | | |
| | | अमृत पाण्डेको दोहोरो परेको भ्रमण भत्ता असुल गर्नुपर्ने | ४८०० | |
| | | जम्मा | २०४८०० | |
| २ | <p>झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम निर्देशिका, २०६६ को परिच्छेद ९ को बुदाँ नं. ९.७ मा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमको लागि सरोकारवालाहरुको कूल लागतमा (लठ्ठा र वुल्डग ग्रिप्स समेत) छोटोतरिको नयाँ निर्माणमा नेपाल सरकार क्षेत्रगत कार्यक्रमको ९२ प्रतिशत, सम्बन्धित पालिकाको ६ प्रतिशत र समुदायको योगदान बढीमा २ प्रतिशत गरी १०० प्रतिशत लागत व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस आ.व. मा देहायका छोटोतरिको झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेकोमा संज्ञौतामा पालिकाको समपुरक कोषबाट ६ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने भनिएता पनि निम्न पुल निर्माणमा संज्ञौता बमोजिमको ६ प्रतिशत रकम समपुरक कोषबाट खर्च नगरी संघिय कार्यक्रमबाट नै खर्च भएको र उपभोक्ताको अंश पनि पालिकाबाट भुक्तानी भएको पाइयो । यसरी उपभोक्ताको अंशवापतको रकम पालिकाबाट भुक्तानी भएको रकम उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने र संघिय शर्ततवाट वढी भुक्तानी भएको रकम पालिकाबाट संघिय सञ्चित कोष फिर्ता गर्नुपर्ने रु</p> | | | 43749.00 |
| क्र.स. | योजनाको नाम | यस वर्षको भुक्तानी | हालसम्मको कुल काम | उपभोक्ताको अश नपुग |
| १ | पुरानो घट्टेखोला झोलुङ्गे पुल २०७६ वाट सुरु | २२८६१८ | १८५३६८१ | ३७०७३ |
| २ | ढोडेनीवेशी झोलुङ्गे पुल २०७६ वाट सुरु | ४६९५४६ | १९९४२७५ | ६६७६ |
| | | | | |

| क्र.सं. | बेरुजुको विवरण | | | | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------|---|--|--|--|--|--------|-----------|--|--|--|--------|-----------|
| | जम्मा | | | 43749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | <p>सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधी २०७७ को दफा २६ मा सामाजिकसुरक्षा कार्यक्रमको लागि निकास भएकको रकम सोहि आर्थिक बर्षमा खर्च नभएमा संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा भत्ता वडा न. १ र २ को प्रभु बैंक वारपाक शाखा वडा न. ३ देखि ७ सम्मको ग्लोवल आइएमई बैंक, सूलिकोट शाखा र वडा न. ८ को सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक भिमसेन थापा गाउपालिका घ्याम्पेशाल शाखामार्फत प्रथम, दोस्रो तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा देहाय बमोजिमको रकम वितरण गरि बाँकी रकम रु. १०६०३४३.३४ फिर्ता गर्नुपर्नेमा लेखापरीक्षणको क्रममा रु.४४६८७३.३४ मात्र फिर्ता गरेकोले बाँकी रकम संघिय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वैकको नाम</th> <th>अवधी</th> <th>निकास रकम</th> <th>वितरण रकम</th> <th>वाँकी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक वडा न. ८</td> <td>प्रथम त्रैमासिक</td> <td>४०९०९०८</td> <td>३९६३२६८</td> <td>१२७६४०</td> </tr> <tr> <td>दोस्रो त्रैमासिक</td> <td>४१७१२१७</td> <td>४०२९२९०</td> <td>१४१९२७</td> </tr> <tr> <td>तेस्रो त्रैमासिक</td> <td>४१९२३१६</td> <td>३९६७०५४</td> <td>२२५२६२</td> </tr> <tr> <td>चौथो त्रैमासिक</td> <td>४२१६८१७</td> <td>४२१६८१७</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td colspan="4">लेखापरीक्षणको क्रममा रु २६,२३९ दाखिला भएको र प्रतिक्रियावाट सांग्रिला विकास बैंकवाट रु १८३७८४।०० फिर्ता भएकोले वाँकी</td> <td>२८४८०६</td> </tr> <tr> <td colspan="4">कुल जम्मा</td> <td>४२८७६४</td> </tr> </tbody> </table> | | | | वैकको नाम | अवधी | निकास रकम | वितरण रकम | वाँकी रकम | सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक वडा न. ८ | प्रथम त्रैमासिक | ४०९०९०८ | ३९६३२६८ | १२७६४० | दोस्रो त्रैमासिक | ४१७१२१७ | ४०२९२९० | १४१९२७ | तेस्रो त्रैमासिक | ४१९२३१६ | ३९६७०५४ | २२५२६२ | चौथो त्रैमासिक | ४२१६८१७ | ४२१६८१७ | ० | लेखापरीक्षणको क्रममा रु २६,२३९ दाखिला भएको र प्रतिक्रियावाट सांग्रिला विकास बैंकवाट रु १८३७८४।०० फिर्ता भएकोले वाँकी | | | | २८४८०६ | कुल जम्मा | | | | ४२८७६४ | 428764.00 |
| वैकको नाम | अवधी | निकास रकम | वितरण रकम | वाँकी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक वडा न. ८ | प्रथम त्रैमासिक | ४०९०९०८ | ३९६३२६८ | १२७६४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दोस्रो त्रैमासिक | ४१७१२१७ | ४०२९२९० | १४१९२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | तेस्रो त्रैमासिक | ४१९२३१६ | ३९६७०५४ | २२५२६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | चौथो त्रैमासिक | ४२१६८१७ | ४२१६८१७ | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लेखापरीक्षणको क्रममा रु २६,२३९ दाखिला भएको र प्रतिक्रियावाट सांग्रिला विकास बैंकवाट रु १८३७८४।०० फिर्ता भएकोले वाँकी | | | | २८४८०६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कुल जम्मा | | | | ४२८७६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | <p>विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८।७९ को क्रियाकलाप नं २.७.१३.१० मा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधारभुत तह सञ्चालित विद्यालयहरुका लागि प्रति विद्यालय रु १० हजार र माध्यमिक तह सञ्चालित</p> | | | | 285000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्र.सं. | बेरुजुको विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------------|-----|---|---------------------|-------|---|------------------------|-------|---|--------------------|-------|---|------------------------|-------|---|---------------------|-------|--|
| | विद्यालयहरूमा प्रति विद्यालय रु १५ हजारको दरले सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण शिर्षकमा एकमुष्ट अनुदान निकासी दिने व्यवस्था छ। यस वर्ष पालिकाले ३७ वटा विद्यालयमा सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण बापत रु ४,२०,०००।-निकासी गरी खर्च लेखेकोमा १६ विद्यालयको प्रतिवेदन पेश भएको र बाँकी विद्यालयको पेश नभएकोले कुल निकासीमा रु १३५००० कटौती गरी बाँकी रकम निकासी भएको विद्यालयको आर्थिक वर्षको सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नभएकोले सामाजिक आर्थिक लेखापरीक्षण गराइ सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम अर्न्तगत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि स्थानिय तह अन्तरगत सञ्चालित आधारभुत तहका सामुदायिक विद्यालयको लागि प्रति विद्यालय रु १२ हजार उपलब्ध गराउने र उक्त रकम इन्टरनेट जडान गर्ने, जडित इन्टरनेट शुल्क भुक्तानी गर्ने खर्च गर्ने उल्लेख छ। पालिकाले भौ नं ८०।२०७८।११।०९ बाट ३५वटा विद्यालयलाई रु ४२००००। अनुदान उपलब्ध गराएकोमा १८ विद्यालयहरूमा मात्र इन्टरनेट जडान भएको प्रमाण पेश भएकोले बाँकी देहायका ११ विद्यालयमा इन्टरनेट जडान भए नभएको एकिन गर्न नसकिएको हुँदा सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा इन्टरनेट जडान नभएको विद्यालयमा निकासी भएको रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असूल गरी संघिय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने रु | 84000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र स</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>दुर्गा मावि, रञ्चोक</td> <td>१२०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>चन्द्रकला आवि, आरुखर्क</td> <td>१२०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>मण्डली आवि, वालुवा</td> <td>१२०००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>नवज्योति आवि, डाँडाथोक</td> <td>१२०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>भगवती आवि, मान्द्रे</td> <td>१२०००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र स | विद्यालयको नाम | रकम | १ | दुर्गा मावि, रञ्चोक | १२००० | २ | चन्द्रकला आवि, आरुखर्क | १२००० | ३ | मण्डली आवि, वालुवा | १२००० | ४ | नवज्योति आवि, डाँडाथोक | १२००० | ५ | भगवती आवि, मान्द्रे | १२००० | |
| क्र स | विद्यालयको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | दुर्गा मावि, रञ्चोक | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | चन्द्रकला आवि, आरुखर्क | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | मण्डली आवि, वालुवा | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | नवज्योति आवि, डाँडाथोक | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | भगवती आवि, मान्द्रे | १२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्र.सं. | बेरुजुको विवरण | | | रकम |
|---------|----------------|--------------------|--------|-----|
| | ६ | बराह आवि, सौरपानि | १२००० | |
| | ७ | स्तुल आवि, स्वाँरा | १२००० | |
| | | जम्मा | १३२००० | |